श्रीराम जन्मभूमि
अयोध्या, उ. प्र., के संदर्भ में
बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों द्वारा
सच जानिए

श्री राम जन्म भूमि
अयोध्या, उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

श्री राम जन्मभूमि न्यास

नई दिल्ली

प्रथम संस्करण , 2001
श्री रामजन्मभूमि न्यास

प्रकाशक श्रीराम जन्मभूमि न्यास
संकट मोचन आश्रम,
रामकृष्ण पुरम , सैक्टर - 6
नई दिल्ली - 110022
दूरभाष : 011- 6178922, 6103495

प्रस्तावना

संसार में एक सिद्धान्त प्रचलित है

" यथार्थ महत्वहीन है
प्रतीती (अवधारणा ही सब कुछ है) "

हिटलर के प्रचार मंत्री गोबेल्स ने इस सिद्धान्त का लाभ उठाते हुए एक और भयंकर सिद्धान्त गढ़ डाला –

" एक झूठ को यदि छः बार दोहराया जाए तो
वह सत्य प्रतीत होता है । "

व्यापक प्रचार प्रसार साधनों से युक्त इस युग में गोबेल्स का यह सिद्धान्त ऐसी प्रलयंकारी जड़ें पकड़ चुका है कि अब झूठ तो सर्वत्र फलता फूलता दिखता है और सत्य दम तोड़ता पाया जाता है ।

ऐसा ही प्रलयंकारी झूठ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव ने 6 दिसम्बर 1992 की शाम को दूरदर्शन से बड़ी नाटकीयता से घोषित किया था –

" बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी गयी "

चील की तरह सारे विरोधी दलों के सैकड़ों नेता इस झूठ पर झपट पड़े और इसी झूठ को सर्वत्र दोहराते हुए समूचे संघ परिवार पर प्रहारों की बौछार लगा दी । कुछ ही घंटों में वास्तविक सत्य तों कही बहुत गहराई में दब चुका था और गोबेल्स का सिद्धान्त मूर्त रूप से उस झूठ की जड़ें अत्यन्त मजबूत कर चुका था ।

परन्तु श्री नरसिंहराव संभवतः उस प्रचण्ड सिद्धान्त को भुला बैठे थे जो इस दिव्य राष्ट्र के प्रत्येक राष्ट्रीय चिन्ह से सिंहनाद सी घोषणा करता है –

" सत्यमेव जयते "

अर्थात सत्य ही विजयी होता है ।

इसलिए लाखों बार उस झूठ का प्रसारण दंश भर में होने के बावजूद स्वयं नरसिंहराव की सरकार ने अयोध्या पर जब श्वेत पत्र जारी किया तो दो सत्य बलात् उसमें से छलक उठे –

1- " सिहांवलोकन " के अध्याय से आरम्भ किए गए श्वेतपत्र का प्रस्तर दो स्पष्ट स्वीकार कर रहा है कि - "..... अतः यह सिद्ध है कि दिसम्बर 1949 से लकर 6 दिसम्बर 1992 तक यह (विवादित) ढाँचा मस्जिद के रूप में प्रयोग नहीं हुआ " (अर्थात् जो ढाँचा ध्वस्त हुआ था वह मस्जिद नहीं थी)
2- 122 पृष्ठीय सम्पूर्ण श्वेत पत्र में इसे " बाबरी मस्जिद " के नाम से कही भी सम्बोधित नहीं किया जा सका । " विवादित ढाँचा " , रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर " अथवा " विवादित पूजा स्थल तो बोला गया पर बाबरी मस्जिद कहकर कभी भी इंगित नहीं किया गया । " पृष्ठभूमि वाले अध्याय में तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि " रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर " इस ढाँचे का प्रचलित नाम है " (अर्थात इसे केवल बाबरी मस्जिद कहकर नरसिंहराव ने एक विराट झूठ बोला था)

इतना ही नहीं , 22/23 दिसम्बर को वहाँ पर रामलला के प्रकट होने के उपरान्त 19 जून 1950 को निचली अदालत ने आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति या सरकारी कर्मचाारी वहाँ पर चल रही पूजा अर्चना को किसी भी विधि से अवरुद्ध नहीं करेगा । इसकी अपील पर सिविल जज ने इस निषेधाज्ञा का 15 मार्च 1953 को पूरी तरह से पुष्टिकरण किया । इस फैसले में विद्वान जज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि ..... कम से कम 1936 से मुसलमानों ने इसे न तो मस्जिद के रूप में देखा और नहीं कभी नमाज पढ़ी गयी ..... दिसम्बर 1949 से हिन्दू ही यहाँ नियमित रूप से इस विवादित स्थल पर बराबर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं ।

उपर्युक्त तीन प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर बहुत बलपूर्व यह सिद्ध हो जाता है कि जो ढाँचा 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में ध्वस्त हुआ वह **" मस्जिद तो किसी भी दृष्टि से नहीं था , अपितु वह स्थल पिछले 42 वर्षों से अधिक काल से अदालती आदेशों से पुष्ठ किया गया एक प्रामाणिक एवं सक्रिय रामलला का मंदिर था । गिरी वह इमारत थी जिसमें मंदिर था और घोषणा की गयी थी कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गयी है ।** यह केवल गोबेल्स के सिद्धान्त का ही चमत्कार था कि

आज यत्र तत्र सर्वत्र संसार में वह ढाँचा " बाबरी मस्जिद " के नाम से जाना जाता है । यहाँ तक कि कई मंदिर समर्थक बातों बातों में उसे बाबरी मस्जिद के नाम से ही पुकार बैठते हैं । फलस्वरूप कोई भीमस्जिद तोड़ने पर भी सारा हिन्दू समाज उसकलंक को लेकर जीने पर मजबूर किया जा रहा है कि हिन्दूओं ने किसी अन्य के पूजा स्थल को ध्सस्त किया है। हिन्दूओं पर यह कलंक किसी भी हिन्दू द्वारा गऊ मांस खाने के कलंक से कम नहीं है । यह सोचकर ही सिहरन होती है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने राजनैतिक स्वार्थ में इतना अन्धा कैसे हो सकता है कि इतना नीचे गिर जाए और इतना बड़ा झूठ घोषित करे जिसकी प्रतिक्रिया में न केवल सैकड़ो मासूम मारे जांए और हमारों के घर फुंक जांए बल्कि जिस झूठ से स्वयं इस दिव्य राष्ट्र की छवि को अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में एक गहरा धक्का लगे । सम्पूर्ण विश्व के इतिहास में ऐसी आत्मघाती हरकत का दृष्टान्त नहीं मिलता । जिस इमारत में 42 वर्षो से पूजा अर्चना निर्बाध रूप से चली आ रही हो उसे मुस्लिम वोट बैंक के लालच के अधीन मंदिर न कहना तो फिर भी क्षम्य था पर उसे विवादित ढाँचा ना कहना किसी भी मापदण्ड से क्षम्य नहीं हो सकता । ऊपर से उसे बाबरी मस्जिद कहना तो हर दृष्टि से घोरतम पाप था । पर यदि श्री नरसिंहराव यह घोर झूठ न बोलकर यह सत्य ऐलान करते किवह इमारत ढ्ह गयी है जिस इमारत में पिछले 42 वर्षो से पूजा अर्चना चल रही थी तो उससे मुसलमानों में इतनी भयानक प्रतिक्रिया न होती और नही दंगें भड़कते और न खूनखराबा होता , न ही बीसियों निर्दोषों की जान जाती । व्यापर खूनखराबा न होता तो नरसिंहराव जी न तो आर. एस. एस. , विहिप , बजरंग दल पर प्रतिबन्ध लगा पाते और नही वे भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलायी जा रही सरकारों को बर्खास्त ही कर पाते – वे प्रदेश जहाँ दो साल पहले कांग्रेस बुरी तरह हारी थी । **एक झूठ बोलकर इतनी सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही हों ऐसे झूठ को न बोलना उनकी राजनैतिक समझदारी में बहुत बड़ी नादानी होती ।** यह सब करने में कितने निर्दोष मारे गए कितने घर फुक गए , तथा भारत मां सारे संसार में कितनी लज्जित हुई इससे उन्हें कोई सरोंकार नहीं था । यदि वे यह झूठ न बोलते तो इतनी सारी राजनैतिक पूंजी कैसे इकट्ठा होती ।

उन्हें गोबेल्स के सिद्धान्त पर पूरा विश्वास था कि दोतीन दिन के अंदर ही झूठ को सत्य मान लिया जाएगा ।

एक और मिथ्या अवधारणा इस देश में ही नहीं सारे संसार में व्याप्त है जिसके अधीन लोग समझते हैं कि अयोध्या में राममंदिर का जो स्थल है उसी के पास भी कहीं बाबरी मस्जिद भी थी जो 6 दिसम्बर को कारसेवकों ने धराशायी कर दी । यह अवधारणा इतनी पुष्ट है कि जब उन्हें बताया जाता है कि दोनों एक ही स्थान के नाम थे और वहां 42 सालों से निरंतर पूजा अर्चना चलती आ रही थी और जो इमारत ध्वस्त हुई वह राममंदिर वाली इमारत ही थी तो लोग इस सत्य पर विश्वास ही नहीं करते । वास्तव में जो 6 दिसम्बर से पहले कभी अयोध्या नहीं कगए उन्हें इस सत्य पर विश्वास दिलाना एक टेड़ी खीर रही है । इस अवधारणा की की पराकाष्ठा तब सामने आयी जब 6 दिसम्बर 1992 से कुछ हफ्ते पूर्व तत्कालीन गृहमंत्री श्री एस. बी. चव्हाण अयोध्या गए तो उन्हें उस स्थल पर ले जाकर रामलला के दर्शन कराए गए और उन्होंने दो सौ रूपए भी मंदिर में चढ़ाए । उसके उपरान्त बगल में खड़े डी. आई. जी. ने दबी आवाज में बताया कि " सर ,जो कुछ है वह यही है – हिन्दू इसे रामजन्मभूमि मंदिर कहते हैं तो मुसलमान इसी स्थल को बाबरी मस्जिद कहकर सम्बोधित करते हैं । " चव्हाण साहब बहुत असमंजस की स्थिति में आ गए । वस्तुतः इस गलत प्रतीति में उनका दोष नहीं था । वे तो केवल नेताओं तथा मीडिया द्वारा गलत प्रतीति में उनका दोष नहीं था । वे तो केवल नेताओं तथा मीडिया द्वारा बनायी गयी उस अवधारणा के शिकार थे कि दोनों ही पूजा स्थल वहीं कही पास पास विद्यमान हैं ।

इस नितान्त मिथ्या अवधारण का सबसे बड़ा शिकार स्वयं नरसिंहराव ही बने, जब उन्होंनें 15 अगस्त 1992 को लाल किले की प्राचीर से सिंह गर्जना की कीथी कि हम एक विशाल और भव्य राम का मंदिर वहाँ बनाएगें परन्तु मस्जिद को छेड़ा नहीं जाएगा " मानों श्री नरसिंहराव हिन्दूओं को गरम चाय और मुसलमानों को ठण्डी लस्सी एक ही प्याले में पिलानें का वचन भर रहे हों । उन्हें इससे सम्भवतः कोई सरोकार ही नहीं था कि जमीन पर क्या है क्या नहीं । पर गोबेल्स के सिद्धान्त

कोई सरोकार ही नहीं था कि जमीन पर क्या है क्या नहीं । पर गोबेल्स के सिद्धान्त को मूर्त रूप देने वालों के लिए सत्य असत्यका विश्लेषण पूरी तरह अप्रांसगिक रहता है ।

वास्तविकता ही नहीं अपितु अब तो इतिहास बन चुका है कि गोबेल्सके सिद्धान्त का इतना भयंकर प्रयोग करके नरसिंहराव ने सारे देश को ही नहीं समस्त संसार कोभ्रम में डालकर मां भारत के माथे पर कलंक लगाते हुए अपनी पार्टी के लोगों को , पूरे मंत्रीमंउल को अपने असत्य की अवधारणा स्वीकृत कराकर अपने व अपने दल के क्षुद्र स्वार्थों को सिद्ध किया । आज तक संसार यही मानता है कि 6 दिसम्बर को जो ढाँचा गिरा था वह बाबरी मस्जिद था ।

अब जब संतो के मार्गदर्शन मण्डल ने यह घोषणा कर दी है कि (12 मार्च 2002 तक सारे अवरोधों को हटा दिया जाए क्योंकि न्यास द्वारा 12 मार्च के बाद किसी अनुकूल तिथि एवं समय पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा) तो संस्कृति रक्षा मंच ने यह बीड़ा उठाया है कि समूचे राष्ट्र को एक व्यापक अभियान के माध्यम से राममंदिर प्रकरण जैसे अत्यन्त संवेदनशील विषय के सारे तथ्य समूचे राष्ट्र के समक्ष अत्यंत प्रामणिकता से प्रस्तुत कर दिए जांए । अतः इस विषय पर आम लोगों द्वारा तथा मीडिया द्वारा समय समय पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक जाई रूप से , संकलित करके इस पुस्तिका के माध्यम से वे सारे सत्य जो झूठों के पहाड़ों तले दबे रहे हैं , जन जन तक प्रभावी रूप से पहुँचाने से का यह प्रयत्न है ।

राममंदिर निर्माण का विषय जनतांत्रिक गठबंधन के एजेन्डा में नहीं है । वस्तुतः भारत जैसे पंथनिरपेक्ष देश की किसी भी सरकार के एजेन्डे में यह विषय नहीं रखा जा सकता । यह तो केवल हिन्दू समाज के एजेण्डा का विषय है । पर किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि यदि सरकार इस विषय के प्रति उदासीन है तो यह विषय समाप्त हो जाएगा । 10 मई 1993 को नौ करोड़ सत्ताव्वे लाख से अधिक नागरिकों ने राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिया था कि **हमारा स्पष्ट अभिमत है कि रामजन्मभूमि अयोध्या पर केवल श्रीरामजी का ही मंदिर**

बनाया जाए । जो भी मस्जिद बननी है वह इस भूमि की पंचकासी परिक्रमा के बाहर ही बनायी जाए । ज्ञातव्य रहे कि इन नौ करोड़ से अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं में तीन लाख सत्तानवें हजार से अधिक तो मुसलमान ही थे और एक लाख उन्नीस हजार से अधिक इसाई थे । अस्तु राममंदिर निर्माण समूचे राष्ट्र के गौरव और सम्मान का ही प्रश्न नहीं है यह व्यापक राष्ट्रीय पुकार है जिसे पूरा करने के लिए सारे सन्त व हिन्दू नेतृत्व कटिबद्ध है । संस्कृति रक्षा मंच द्वारा इस पुस्तक के पीछे सैकड़ों घण्टों का शोधकार्य है तथा बीसियों घंटे राममंदिर आन्दोलन से जुड़े अनेक नेताओं ने गहराई से पूछताछ करने का तप लगा है । अभिलाषा केवल एक ही रही है कि जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाए वह प्रामाणिक सत्य ही होना चाहिए । यह सत्य है इसकी एक अलग पहचान है कि इसमें प्रस्तुत तथ्यों को जो भी चुनौती देना चाहता है चाहे उसका स्वागत होगा । सत्य वास्तव में सत्य तभी माना जा सकता है जब उसमें कोई संशय बाकी न रहे । अतः प्रत्येक संशय का सटीक समाधान करने का पूरा दायित्व संस्कृति रक्षा मंच स्वीकार करता है । एक प्रश्न के उत्तर में इस पुस्तक में आया है कि राष्ट्र के इतिहास में जन आंदोलन के माध्यम से यह एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है कि इस देश में हिन्दू और मुसलमान अत्यंत स्नेह से एक दूसरे के दुख दर्दों को महसूस करते हुए भविष्य के भारत में प्रवेश करें । यदि आज के मुस्लिम नेता वास्तव में भारत से प्रेम करते हैं तो यदि वे काशी में बनी मस्तिद और मथुरा में बनी ईदगाह से अपना अधिकार छोड़ दे ंतो और राममंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दे दे ंतो इस देश का हिन्दू सारे ही मुसलमानों को अपना भाई बन्धु मानने पर मजबूर हो जाएगा । भारत में साम्प्रदायिक सद्भाव की फिर जो सरिता बहेगी उससे यह देश संसार में एक अप्रतिम देश के रूप में उभर कर आएगा ।

मेजर जनरल विश्वास जोगलेकर
वी. एस. एम. अध्यक्ष
श्री अशोक चौगले, डा. शिवा सुम्ब्राम्या
सह अध्यक्ष

संस्कृति रक्षा मंच
आई / 703 सोम विहार
नई दिल्ली - 110022 भारत
दूरभाष : 0116193815

रामजन्मभूमि प्रकरण पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. 1 अयोध्या नगरी का माहात्म्य क्या है ?

अयोध्या नगरी श्री राम की जन्म स्थली है । वे श्री राम जो भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों के मेंरुदण्ड हैं । प्राचीन हिन्दू ग्रन्थ ब्रह्म पुराण (4.4.91) में अयोध्या छः प्रमुख तीर्थों में प्रमुख तीर्थ है (अन्य हैं मथुरा , हरिद्वार , काशी , कांची और उज्जैन) महाकति गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रारम्भ सन 1574 इसी नगरी में किया था ।

प्र. 2 श्री राम मंदिर का व्यक्तित्त्व यथार्थ में वास्तविक था केवल कपोल कल्पित ?

श्रीराम मनुष्य शरीर धारण कर भारत की पुनीत भूमि पर अवतरित हुए थे । भारत के सैकड़ों स्थानों पर , जहाँ वे रहे अथवा जहाँ से वे गुजरे , आज भी उनके स्मृति चिन्ह विभिन्न रूपों में बिखरे पड़े हैं । अमेरिकी स्पेस ऐजेन्सी नासा की सेटेलाइट द्वारा लिए गए चित्रों में श्रीराम ने अपनी सेना को पार उतारने के लिए जो पुल बनाया था उसके अवशेष स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं । (उस चित्र की एक प्रति इस पुस्तक के कवर के अंतिम पृष्ठ पर दी गयी है ।) श्रीराम के मंदिर समूचे भारत के कोने कोने में व्याप्त हैं । भारत ही नहीं अपितु प्राचीन आर्यावर्त में जिसमें इण्डोनेशिया , थाईलैण्ड , काम्बोडिया , आदि देश थे - जगह जगह पाए जाते हैं । बाल्मिकी रामायण के कई प्रसंगों की पृष्ठभूमि की पुष्ठि पुरातत्व विभाग की अनेक

खोजों में उपलब्ध है । श्रीराम के जन्म के नक्षत्रों का जो उल्लेख बाल्मिकी रामायण में दिया गया है उसके आधार पर गणित वेत्ताओं ने श्रीराम का जन्म आज से 9323 वर्ष पूर्व बताया है । ब्राजील में छपी एक पुर्तगाली पुस्तक रामायण से प्राप्त कलाकार की कल्पना के राम का भारत का चित्र जो एडिटोरा कलट्रिक्स एलटीडज्ञ साओ पौलो ब्राजील के 1976 की रामायण में प्रकाशित हुआ है उसे नीचे प्रस्तुत किया गया है ।

प्र. 3. राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है ?

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड धर्म की धुरी पर चलता है धर्म में समस्त प्रकार के अनुशासन , मर्यादाएं एवं कर्तव्य समाहित हैं । श्रीराम सत्य पर आधारित मौलिक जीवन मूल्यों , मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा निर्धारित नियमों और धर्म द्वारा निर्धारित कर्तव्यों से , जटिल से जटिल काल में कभी नहीं डिगे । मानव सम्बन्धी सभी मर्यादाओं का अुनपालन घोर से घोर काल में नितान्त सरलता से किया । धर्म पर सर्वथा अडिग रहकर उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए उन्ही के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर ही उनके चरित्र का परिचय मिल पाता है । छोटे भाई भरत , जिसे उनका राज्य दिया गया , कैकेयी जिसने उनका राज्य छिनवाया एवं 14 वर्ष वन गमन करवाया – दोंनो के प्रति उनके प्यार और सम्मान में रंचमात्र अंतर नहीं आ पाया । वस्तुतः श्रीराम एक पूर्ण मानव के साक्षात स्वरूप थे इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं ।

प्र. 4. राम के प्रति आस्था कितनी प्राचीन है ?

यूँ तो सूर्यवंशी श्रीराम का प्राचीन इतिहास फैजाबाद गजेटियर खण्ड तैतालीस के पांचवे अध्याय के प्रारम्भ में ही दिया है परन्तु बाल्मिकी रामायण में राम के जन्म , हनुमान मिलन के समय की काल गणना के हिसाब से राम आज से 9323 वर्ष पूर्व में रहे । नासिक की एक गुफा में राम का उल्लेख एक शिलालेख में मिलता है जो AD 150 के काल का है । प्राचीन रामगढ़ की पहाड़ियों में राम के मंदिर सन 300 तक के पाए गए हैं । रामगढ़ की पहाड़ियाँ नागपुर से 30 किमी के फासले पर हैं । अनेकानेक प्राचीन गुफाओं और मंदिरों में राम के चित्र पाए गए हैं

। देवगढ़ मंदिर से लेकर अंकोरवाट काम्बोडिया के बीच राम की पूजा के अनेकानेक स्थलों के अवशेष जगह जगह पाए गए हैं । बैंकाक के राजप्रसाद की भीतरी प्राचीरों पर श्रीराम के जीवन के अनेक प्रसंग चित्रित हैं ।

प्र. 5. क्या रामजन्म की भूमि को प्रमाणित करने वाला कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध है ?

राम की जन्मभूमि का सर्वोत्कृष्ट पुरातात्विक साक्ष्य वह शिलालेख है जो 265 अन्य मंदिर अवशेषों के साथ 6 दिसम्बर 1992 को ध्वस्त हुए ढाँचे की दीवारों मे से निकला । इस शिलालेख में 20 पंक्तियाँ हैं जो नागरी लिपि में संस्कृत में लिखी गयी हैं । नागरी लिपि ग्यारवीं और बाहरवीं शताब्दी में प्रचलित थी । अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिलालेख विशेषज्ञों , संस्कृत के विद्वानों , विख्यात इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों (प्रो ए. एम. शास्त्री , डा. के. वी. रमेश , डा. सुधा मलैया , डा. डी. पी. दुबे और डा. जी. सी. त्रिपाठी) के सहयोग से आज उस शिलालेख का सम्पूर्ण संदेश उपलब्ध हो गया है । इस शिलालेख का छाया चित्र इस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर दिया है ।

इसकी 20 पंक्तियों में 30 श्लोक हैं । प्रथम 20 श्लोक राजा गोविन्द सिंह गहढ़वाल (सन 1114 से 1154 तक) के तथा उनके कुल के यश में लिखे हैं । 21 वें श्लोंक में कहा गया है

उसने (राजा ने) संसार सागर को शीघ्र लांघ जाने के उद्देश्य से (भगवान वामन) के लघु चरणों का ध्यान करते हुए पूर्व राजाओं द्वारा भी बनवाए न जा सकने वाले इस अति अदभुत टंकों द्वारा उत्कीर्ण शेल बिखर की भाँति शिला समूह श्रेणी से युक्त कमल वाले विष्णुहरि (भगवान राम) के इस श्री सुंदर मंदिर का निर्माण किया ।

आगे 27 वें श्लोक में विष्णु के अन्य अवतारों के साथ राजा बलिराज का दलन तथा दुष्ट दशासन को मारने का भी उल्लेख है ।

उल्लेखनीय है कि र ाजा गोविन्द सिंह गढ़वाल ने आक्रमण कारी सालार मसूद द्वारा पूर्व में तोड़े गए इस मंदिर का पुनर्निर्माण ही किया था । इसके अतिरिक्त 1975 से 1980 के बीच रामायण में उपलब्ध प्रसंगों के आधार पर कई स्थानों पर पुरातत्त्व विभाग द्वारा खुदाई करायी गयी थी । विवादित ढाँचे के ठीक पीछे लगी जमीन में भी खुदायी करायी गयी थी । वहाँ खोदने पर एक कतार में खम्भे मिले जो ढाँचे के नीचे दबी जमीन के अंदर को जा रहे थे । यदि खुदाई करते चले जाते तो उन खम्बों की कतार आगे भी मिलती ही जाती पर आगे की खुदाई से ढाँचे को खतरा हो जाता इसलिए खुदाई रोकनी पड़ी ।

प्र. 6. क्या अयोध्या में 1528 ईसवी में श्रीराम का मंदिर तोड़े जाने का कोई सबूत है ?

अवश्य है । उस काल के प्रत्यक्षदर्शी , प्राचीन यात्रियों के वर्णन, इतिहास एवं पुरातात्विक साक्ष्य, राजस्व रिकार्ड, गजैटियर्स में उल्लेख तथा स्वयं आक्रमणकारियाकं के अपने अभिलेख अथवा उनके सरकारी लेखकों के लेख आदि बहुत से साक्ष्य उपलब्ध हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि 1528 में श्रीराम के मंदिर को तोड़कर ही वह बाबरी ढाँचा बनाया गया था । सबसे अकाट्य साक्ष्य तो वे 265 मंदिर के अवशेष हैं जो 6 दिसम्बर 1992 को ध्वस्त ढाँचे की दीवारों में से निकले । उनके स्वयं राम की एक काली मूर्ति, काकभुषुण्डी जी की मूर्ति अत्यंत सटीक प्रमाण है कि बाबरी ढाँचा श्रीराम के मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया था ।

फैजाबाद में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हिन्दू और मुसलमानों ने कन्धे से कन्धा लगाकर लड़ा था जब उन्होंनें वहां सफलता पा ली तो मुसलमानों के नेता अमीर अली ने अपना निर्णय सुना दिया कि अयोध्या का राममंदिर हिन्दूओं को सौंपकर हिन्दूओं और मुसलमानों के बीच की लड़ाई की जड़ को नष्ट कर दिया जाए । 1883.84 में प्रकाशित दिल्ली का गजेटियर जो 1907-09 में संशोधित किया गया और 1912 में प्रकाशित हुआ और फिर बाद में 1976 को पूरी तरह संशोधित करके प्रकाशित हुआ उसकी पृष्ठ संख्या 134 पर कर्नल माट्रिन द्वारा की गयी एक प्रविष्टि सारे चित्र को साफ करती है ।

कर्नल माट्रिन लिखते हैं कि **यह सूचना पाकर कि मुसलमानों ने स्वेच्छा से बाबरी मस्जिद हिन्दूओं को सौंपने का निर्णय कर लिया है हमारे दल में बौखलाहट सी छा गयी और ऐसा लगने लगा कि अब ब्रिटिश का सफाया हो जाएगा ।**

फिर 18 मार्च 1857 को जब मुसलमानों के नेता अमीर अली तथा हिन्दूओं के नेता रामचन्द्र को हराकर उन्हें फांसी पर एक ही पेड़ से लटका दिया गया तो कर्नल माट्रिन लिखते हैं कि इसकेबाद क्रांतिकारियों की कमर टूट गयी और फैजाबाद जिलें में हमारा दबदबा फिर कायम हो गया ।

एक अन्य मामले में महन्त रघुबर दयाल द्वारा चलाए जा रहे मुकदमें में जिला जज ने अपने 18 मार्च 1886 के फैसले में लिखाः

मैंने पाया कि शंहशाह बाबर ने जो मस्जिद बनाई वह अयोध्या नगर के एक छोर पर है । यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मस्जिद उस स्थान पर बनाई गयी है जो स्थान हिन्दूओं के लिए अत्यंत पूजनीय था, पर क्योंकि यह घटना 358 वर्ष पहले घटित हुई थी अतः उसके इलाज के लिए बहुत विलम्ब हो चुका है । अब केवल यथावत स्थिति ही रखना हितकर होगा । क्योंकि कोई रद्दोबदल करने पर फायदा कम नुकसान अधिक होगा ।

सामान्य मुस्लिमजनों को इस अन्याय का अहसास अब भी है और बहुत से चाहते भी है कि इसे हिन्दूओं को वापिस सौंप देना चाहिए , परन्तु वोट बैंक की राजनीति में फँसे मुसलमानों के अलावा बहुत से हिन्दू नेता भी ऐसा होने नहीं देना चाहते ।

वस्तुतः प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर के काल में वार्ताओं के दौरान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के समक्ष साक्ष्य का एक विशाल भण्डार प्रस्तुत कर दिया गया था कि बाबरी ढाँचा मन्दिर तोड़कर बनाया गया । बी. एम. ए. सी. उस साक्ष्य की काट करने में पूरी तरह से असमर्थ रही और वार्तालाप से पीछे हट गयी ।

प्र.7. किस आधार पर यह कहा जाता है कि बाबर ने अयोध्या में एक मंदिर तोड़ा था ?

बाबर ने मीर बाकी द्वारा एक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का संकल्प किया तो यह बात तो ढांचे के दक्षिण पर 68 से.मी. * 48 से.मी. के शिलालेख पर सभी देखते आए । उस शिलालेख पर तीन शेर तीन पंक्तियाँ लिखे थे । यह शिलालेख कहता है :

बाहुक्म शंहशाह बाबर यह फरिश्तों के अवतरण का स्थान नेक मीर बाकी द्वारा बनाया गया । यह अनंतकाल तक सुख पहुँचाने वाला है (ए एच 935 - बी ई 1528-29) " उस शिलालेख का छाया चित्र नीचे प्रस्तुत हैः-

इसके अलावा फैजाबाद गजेटियर खण्ड तैतालीस 1905 के पृष्ठ 172-73 पर श्री एच. आर. नेविल आई. सी. एस. ने लिखा है कि -

- **" बाबर तथा औरंगजेब द्वारा (मंदिर) नष्ट भ्रष्ट किया जाना इस बात का प्रमाण था कि हिन्दूओं द्वारा वह स्थान अब भी पूजनीय माना जाता रहा । " (पृष्ठ 172)**
- **" स्थानीय लोगों से पुष्टि होती है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय में अयोध्या में तीन प्रमुख मंदिर थे, जन्मस्थान मंदिर, स्वर्गद्वार तथा त्रेता का ठाकुर । " (पृष्ठ 173)**
- **" जन्मस्थान रामकोट में था जहाँ राम का जन्म हुआ था । सन् 1528 ईस्वी में बाबर एक हफ्ते के लिए अयोध्या में रुका था । उसने उस स्थान पर बना हुआ प्राचीन मंदिर तोड़ गिराया था और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई थी जिसमें**

मंदिर के बहुत से अवशेष मस्जिद बनाने में इस्तेमाल हुए और उसके कई खम्भे तो बहुत अच्छी हालत में हैं । । " (पृष्ठ 173)

सबसे प्रबल साक्ष्य तो 6 दिसम्बर 1992 को ढाँचे की दीवार से राम मंदिर के 265 अवशेष दे रहे हैं जिनकी कोई काट नहीं है । उनके काले रंग की राम और काकभुषुण्डी की मूर्तियां सारी पैदा की गयी भ्रान्तियों को समाप्त कर देती है और यह सिद्ध करती है कि वह मस्जिद मंदिर को तोड़कर ही बनायी गयी ।

प्र.8. क्या बाबरी मस्जिद जानबूझकर एक ध्वस्त मंदिर के ऊपर बनायी गयी थी ?

निःसन्देह हाँ ! श्री सीता राम गोयल रचित पुस्तक " हिन्दू टेम्पल्सः वाट हैपन्ड टू दैम " में अत्यंत प्रामाणिक ढंग से सिद्ध कर दिया गया है कि हिन्दू बौद्ध, जैन मंदिरों को तोड़कर उनके स्थानों पर मस्जिदें बनायी गयी थीं । कुरान के आदेश ही ऐसे थे ।

कुरान में काफिर , जिहाद और गाजी की संकल्पनाए ही मंदिरों के विध्वंस करने का आदेश देती हैं । मंदिरों को तोंड़कर उन्हीं के ऊपर मस्जिद बनाने की नीति हिन्दूओं के ऊपर आक्रमणकारियों के आधिपत्य का प्रतीक रहीं । बाबरी मस्जिद भी उसी श्रंखला की एक कड़ी थी । स्वयं बाबर ने बाबर नामा में जो लिखा है उससे उसकी मनोवृत्ति की पूरी पुष्टि होती है-

" इस्लाम की खिदमत में जगह जगह मारा फिरा , हिन्दू और गैर महजबियों से सदा युद्ध में तत्पर रहा, शहीद होने को पूरी तरह तैयार था पर खुदा का शुक्र है कि मैं गाजी बन गया । "

इस्लामी शास्त्रों के अनुसार एक मोमिन (जो इस्लाम में विश्वास रखे) जब गैर इस्लामी से युद्ध करता है तो मुजाहिद कहलाता है और जबवह उस लड़ाई में दुश्मन की हत्या कर देता है तो वह गाजी का खिताब पा जाता है ।

एनट बैवरिज की ने फारसी डायरी बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था जिसमें जन्मस्थान को नष्ट करने का विशेष उल्लेख किया है । उसने लिखा है कि " एक

गहरा मजहबी बाबर श्रीराम जन्मभूमि पर बने मंदिर की भव्यता और सौन्दर्य से अत्यंत प्रभावित हुआ और इस्लाम का आज्ञाकारी सेवक होने के नाते उस मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद का निर्माण करना उसका परम धार्मिक कर्तव्य था । " बेवरज कहता है कि मंदिरों के प्रति असहिष्णुता प्रोफेट मुहम्मद में थी बाबर तो केवल इस्लाम का आज्ञाकारी सेवक ही था उसने जो कुछ किया वह सब इस्लाम की सेवा में अपने कर्तव्य के नाते ही किया ।

प्र0 9 कहा जाता है कि बाबर द्वारा मंदिरों की तोड़ फोड़ के मूल में एक राजनैतिक उद्देश्य था न कि धार्मिक भावना । आपका क्या मत है ?

राममंदिर मुल्लाओं अथवा मौलवियों ने नहीं तोड़ा था । उसे राजाध्यक्ष शंहशाह की फौजों ने ध्वस्त किया था अतः यह तो स्पष्ट राजनैतिक उद्देश्य से प्ररित था । समूचे भारत में हिन्दूओं के सर्वाधिक श्रद्धा के केन्द्र बने अयोध्या, काशी व मथुरा के पवित्र मंदिरों को आधा गिराकर एक अश्लील मुद्रा में उन पर मस्जिदों को सवार कराना एक अत्यंत कुटिल सोची समझी गयी राजनैतिक चाल थी जो सर्वत्र यह संदेश भेज रही थी कि मुगलिया सल्तनत हिन्दूओं के पवित्रतम स्थलों पर हावी है । इन मंदिरों में समस्त भारत से लाखों यात्री आते थे अतः इस पैशाचिक विधि को अपनाकर उन्होंने सम्पूर्ण भारत के हिन्दूओं की मानसिकता को ही बंधक बनाकर रखने की चाल चली थी । वे कितने सफल हुए यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि मुगलों के शासन के सैकड़ों वर्ष बाद भी स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री अपनेआप को हिन्दू कहने में लज्जा का अनुभव करते थे उनका कहना था कि मैं तो केवल जन्म से हिन्दू हूँ मानो हिन्दू होना एक लज्जास्पद बात हो । इन मानसिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर आने के लिए ही विश्व हिन्दू परिषद ने सिंहनाद किया था - गर्व से कहो हम हिन्दू हैं ।

मंदिरों को आधा ध्वस्त करके उनपर मस्जिदों को आरूढ़ करना किसी भी दृष्टि से धार्मिक कर्म नहीं हो सकता । यह तो मंदिरों के शरीर पर जबरन बलात्कार ही था और यह इसलिए किया गया कि देश भर के सारे हिन्दू इतने सहम जांए कि वे विरोध करने का विचार तक त्याग दें । धार्मिक उन्माद तो मंदिरों को पूरी तरह

ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण अन्यत्र तमाम खाली भूमि में करने से भी पूरा हो सकता था । **जब तक कुरान में काफिर ,जिहाद , गाजी और मतान्तरण की अनिवार्यता रहेगी तब तक इस्लाम के अनुयायियों के हर धार्मिक काम के राजनैतिक फल अनिवार्य रूप से निकलेगें और जो कुछ राजनैतिक उद्देश्य से किया जाएगा उसमें से धार्मिक फल प्रकट होंगे ।** स्मरण रहे कि जब स्पेन में मुअर्स को परास्त कर बाहरवीं सदी में मुसलमानों ने स्पेन पर कब्जा किया था तो सम्पूर्ण स्पेन के चर्च को ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण किया गया था और स्पेन के प्रत्येक देशवासी को मुसलमान बनाया गया । यह अलग बात है कि राष्ट्र गौरव के धनी स्पैनियर्ड्स ने जब 400 वर्ष बाद पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो सारी मस्जिदों को ध्वस्त करके चर्च बनवाए गए और सारे स्पैनियर्ड्स को पुनः इसाई बना लिया गया । मजहब में राजनीति और राजनीति में मजहब इस्लाम में पूरी तरह से गुंथे हुए हैं । तभी न इस्लामिक देशों का शासन इस्लामी शरियत के ही अधीन चलाया जाता है ।

प्र.10. क्या हिन्दू समर्थकों को यह कभी नहीं सूझा कि राजनीति और धर्म का मिश्रण एक जानलेवा मिश्रण है और राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए घातक है तथा इससे सदा दूर रहना चाहिए ?

निःसंदेह राजनीति और धर्म का मिश्रण प्राणघाती है । पर यह मिश्रण तो इस्लामियत के पोर पोर में है । जब जिहाद की लड़ाई होगी तो उसके फल राजनीतिक निकलेंगे ही जब धर्माण्तरण किया जाएगा तो उसके फल भी राजनैतिक निकलेंगे ही । कु औश्र गाजी की संकल्पना जब अपनी मंजिल तक पहुँचायी जाएगी तो परिणाम राजनैतिक ही होंगे । अतः धर्म और राजनीति के मिश्रण के दोष के लिए हिन्दूओं की ओर देखना भूल होगी । ऐसा नहीं है कि मुगलों से पहले हिन्दू राजा ने अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध नहीं किए पर उनकें युद्ध से काई धार्मिक परिणाम कभी नहीं उपजे और नही जब राजाओं ने अपना धर्म परिवर्तन किया (जैसे सनातन धर्म से बौद्ध या जैन धर्म स्वीकारा) तो उनके शासन में कोई परिवर्तन आया । हिन्दू परम्परा में र ाजनीति और धर्म सदा अलग ही रहे हैं भले ही राजा अपने को सदा

राजगृरु के अधीन क्यों न मानता रहा हो । हिन्दू राजाओं के युद्ध में धर्म कर किंवित पुट कभी नहीं रहा ।

हिन्दूओं ने तो राममंदिर की लड़ाई सदी दर सदी केवल धर्म की ही लड़ाई रखी । बीसंवी सदी में भी 1949 से 1986 तक धार्मिक लड़ाई न्यायालय भर तक पहुँची थी । हिन्दूओं के मन में इसे राजनीति से जोड़ने का ध्यान भी नहीं आया । हाँ कांग्रेस शाहबानों के मामले में मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने जब घुटने टेक दिए तो उन्हें हिन्दू वोटों के खिसक जाने का भय हुआ । और तब पहली बार 1986 में राम मंदिर का ताला खोलना हिन्दूओं के हृदयों को जीतने के लिए राजनैतिक चाल चली थी । तभी से मंदिर प्रकरण में राजनीति घुसी । स्मरण रहे कि सोमनाथ्के पुनर्निर्माण में कोई राजनैतिक फुसफुसाहट तक नही हुई थी ।

पर धर्म और राजनीति एक प्राणघाती मिश्रण है इसमें संदेह नहीं । इसे दूर करने के लिए क्या आज देश के किसी भी राजनैतिक दल में साहस है कि वह मुसलानों के धार्मिक नेताओं से बलपूर्वक कहे कि वे कुराने पाक की आयतों की व्याख्या भारतीय संविधान में निहित पंथनिरपेक्षता के मूल से तालमेल रखते हुए करें । विडम्बना तो यह है कि मुस्लिम नेता सबसे ऊंची आवाज में पंथनिरपेक्षता की दुहाई देते पाए जाते हैं जबकि उनकी राजनीति पूरी तरह इस्लाम में सनी हुई है । उनका शाही इमाम गर्व से कहता है कि हम मुसलमान पहले है हिन्दूस्तानी बाद में । इस सैक्यूलर देश की विडम्बना यह है कि श्री नरसिंहराव सरीखे प्रधानमंत्री मुलसमानों की कौमी नजीम को सरकारी विज्ञान भवन में संयोजित करके उसे सम्बोधित करना धर्मनिरपेक्ष मानते हैं पर हिन्दूओं के विराट हिन्दू सम्मेलन में सी. आई. डी. का जाल बिछाते हैं ।

धर्म और राजनीति एक प्राणघाती मिश्रण है का पाठ पहले उन धर्मावलम्बियों को पढ़ाना होगा जिनमें धर्म जन्म से ही राजनीति में सने रहे हैं और जो आज निर्लज्जता से राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं । मुसलमान किसे वोट देगें इसका फतवा शाही इमाम जारी करता है । हिन्दूओं में फतवों की

कोई परम्परा नही है । और अगर कोई ऐसा कुछ करने का दुःहासन भी कर बैठे तो उसको तामील कराने का कोई धर्मान्त्रण नहीं है ।

प्र.11. ''राम चबूतरा'' और ''सीता की रसोई'' का माहात्म्य क्या है?

ये दोनों ही 1528 में राममन्दिर के तोड़े जाने के पचास वर्षों के अन्दर शहंशाह अकबर के काल में निर्मित हुए थे । सीता की रसोई को अपने मूल स्थान पर निर्मित की गई परन्तु राम चबूतरा बाबरी मस्जिद से एकदम सटा हुआ निर्मित किया गया था । जहां गर्भ-गृह था बहां तो बाबरी मस्जिद तामिर थी सो वह स्थान तो उपलब्ध नहीं हो सकता था अतः दूसरा विकल्प यही हुआ कि जिससे हिन्दू भक्त उस गर्भ-गृह के निकटस्थ रहकर राम की पूजा कर सकें । हिन्दू किसी कीमत पर रामजन्मभूमि के ऊपर अपने अधिकार को उसके निकटस्थ बने रहकर कायम रखना चाहते थे । इसी से जन्म-स्थली के प्रति हिन्दूओं की आस्था की गहराई का परिचय मिलता है । उल्लेखनीय है कि जबसे यह राम चबूतरा बना, तब से वहां चौबिस घंटे 365 दिन कीर्तन किया जाता रहा । फिर राम नवमी का त्यौहार तो सदा की भांति बड़े जोर-शोर से निरंतर राम चबूतरे पर मनाया जाता रहा है । सन् 1700 के उपरान्त तो आलेखों में भी रामनवमी वहीं मनाए जाने के उल्लेख मिलते हैं । प्राचीन काल से रामनवमी उस स्थान पर मनाए जाने की परम्परा कभी नहीं टूटी ।

प्र. 12. यदि रामजन्मभूमि के स्थान का इतना बड़ा महात्म्य है तो अब से पहले इसे वापिस लेने का प्रयास क्यों नही हुआ ?

सन 1528 में जिस समय से राम मंदिर को तोड़कर बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई उसी समय से निरतंर उसे पुनः प्राप्त करने के प्रयास होते आ रहे हैं । 1947 से पूर्व कुल 77 प्रयासों का उल्लेख मिलता है । यथार्थ तो यह है कि 1528 से आज तक कोई ऐसी सदी नहीं गुजरी तब हिन्दूओं ने इस पर पुनः कब्जा न किया हो, जब जब ऐसा हुआ तब तब शाही फौजों ने बल प्रयोग करके उस पर पुनः कब्जा किया । भिन्न भिन्न हिन्दू राजाओं ने समय समय पर प्रयास किया । अब तक दसियों हजार हिन्दू इन युद्धों में शहीद हो चुके हैं । सीता की रसोई और राम चबूतरा का वहां निर्माण इसीलिए किया गया था कि आने वाली पीढ़ियां इस घोर

अपमान को याद रखें और रामजन्मभूमि पुनः प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील बनी रहे ।

प्र. 13. अग्रेजों के शासन के दौरान भी क्या श्रीराम जन्म भूमि की जन्म स्थली को पुनः प्राप्त करने के कोई शांति पूर्ण प्रयास किए गए थे ?

निसंदेह किए गए थे । हालांकि हम स्वाधीन नहीं थे परंतु अग्रेंजी शासन में कानून और अदालत का एक मार्ग अवश्य उपलब्ध हुआ करता था जिसके माध्यम से विधि की शक्ति से हिन्दू अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकता था । इसी योजना के अनुसार 1885 में अदालत में एक मुकदमा दायर किया था जिसमें जिला जज ने जो अपना फैसला सुनाया था उसका विस्तार से उल्लेख प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में पूर्व में दिया जा चुका है उ स फैसले के तीन बिन्दु महत्व के थे ।

- कि वह मस्जिद बाबर द्वारा बनवाई गयी थी ।
- कि दुर्भाग्यवश हिन्दूओं के लिए वह स्थान अत्यंत पूजनीय था ।
- अन्याय किया गया स्वीकारने के बाद भी जज ने यथास्थिति को ही कायम रखने का फैसला दिया था । (यह फैसला मुसलमानों को अपने अधिक समीप लाने का खुला प्रयास था । 1857 की हिन्दू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे अतः उसके बाद हिन्दू और मुसलमानों में मतभेद बनाए रखना उनके लिए अनिवार्य हो चुका था इसीलिए न्याय क्या है उसे स्वीकार करते हुए भी हिन्दूओं के पक्ष में आदेश नहीं किए गए थे ।)

प्र. 14 क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी रामजन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए कोई शांतिपूर्ण प्रयास किए गए थे ?

निसंदेह किए गए थे । 1949 में जब राम लला प्रकट हो चुके थे तो स्वतंत्र भारत में भी अदालत में अपने पूजा के अधिकार को बिना किसी अवरोध के हिन्दू प्रयोग करते रहे इस हेतु मुकदमा दायर किया गया था । अदालत ने हिन्दूओं द्वारा निर्विरोध पूजा किए जाने की बात को स्वीकारा था और हिन्दूओं के अनुकूल 1950 में फैसला दिया गया था, इसके खिलाफ अपील की गयी थी वह सिविलजज ने 18 मार्च 1955 को खारिज कर दी थी । इसके अतिरिक्त मुसलमानों ने राम लला को वहां

से हटाने के लिए मुकदमा दायर किया था उसे खारिज करते हुए उन्हें आदेश दिया था कि वे मंदिर की पूजा में कभी कोई अवरोध पेदा न करें ।

अदालती प्रक्रिया को तेज अथवा धीमे करने की जो विलक्षण सामर्थ्य कांग्रेस की सरकारों में रही उस अद्‌भुत सामर्थ्य के प्रयोग से 1986 में अदालती आदेश से मंदिर के ताले खुले और तब से हिन्दूओं को अबाध गति से अंदर जाकर पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ ।

आशा थी कि स्वतंत्र भारत में देश की गुलामी के स्मारक नष्ट कर दिए जाएंगे पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ । उल्टे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सदा हिन्दू भावनाओं को निसंकोच रौंदा गया । जुलाई तथा नवम्बर 1992 में स्वयं सुप्रीम कोट्र का जो रवैया रहा था उससे हिन्दूओं के मन में सुप्रीम कोट्र की निष्पक्षता के सम्बंध में बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा था ।

शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास प्रधानमंत्री सर्व श्री वी. पी. सिंह चन्द्रशेखर तथा नरसिंह राव के कार्यकाल में भी किया गया । श्री चन्द्रशेखर के समय में अत्यंत प्रचुर मात्रा में हर प्रकार की साक्ष्य सामग्री उपलब्ध कराई गयी थी । पर जब बी एम ए सी उनको तर्क के माध्यम से काट पाने में असमर्थ हो गयी तो वार्ताएं समाप्त हो गयी । हिन्दूओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर उन्हें अपमानित महसूस कराने का कृत्य तब पराकाष्ठा पर पहुंचा था जब जुलाई में लाखों कार सेवक अयोध्या में एकत्रित थे तो श्री नरसिंह राव ने वचन दिया कि सारे मामले सुप्रीम कोट्र में लाकर प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई कराकर मंदिर प्रकरण के सारे के सारे मुकदमों में 3 महीनों में फैसला कर दिया जाएगा बशर्ते कारसेवकों को वापिस भेज दिया जाए । उत्साहवर्धन वचन पाकर जब कारसेवकों को वापिस बुला लिया गया तो तीन नहीं चार महीनों में भी उन्होंने कुछ नहीं किया । हिन्दूओं के शांतिपूर्ण प्रयासों का अनुभव सुखद नहीं रहा है ।

प्र. 15. क्या भारत सरकार के समक्ष वह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे प्रमाणित हो कि 1528 में श्रीराममंदिर को तोड़ा गया था ?

निसंदेह हां । दिसम्बर 1990 में चन्द्रशेखर सरकार ने समाधान करने हेतु विहिप तथा बी. एम. ए. सी. दोनों पक्षों से साक्ष्य सामग्री मांगी थी । विश्व हिन्दू परिषद ने साहित्यिक, ऐतिहासिक , रेविन्यु रेकार्ड्स, अदालती, पुरातात्विक, आदि सभी प्रकारके ऐसे साक्ष्यों के अम्बार लगा दिए जिनसे सिद्ध होता था कि श्रीराम के मंदिर को जानबूझकर तोड़कर उसी की नींव पर बाबरी मस्जिद निर्मित की गयी थी ।

शासन ने उन साक्ष्यों की उपलब्धता को स्वीकार किया है । विहिप और बी. एम. ए. सी. के मध्य हुई वार्ताओं की प्रक्रिया के अंतिम मिनिट्स में कहा गया –

" विहिप ने अपने प्रत्युत्तर में अ. भा. बी. एम. ए. सी. के दावों को बिंदुवार गलत सिद्ध करने का प्रयास किया है । अ. भा. बी. एम. ए. सी. नें विहिप द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर की छाया प्रतियां और दे डाली । क्योंकि अ. भा. बी. एम. ए. सी. ने विहिप के साक्ष्यों पर कोई टिप्पणी नहीं दी अतः शासन के लिए संभव नहीं है किवह सहमति और असहमति के बिंदुओं पर कोई निर्णय ले सके । "

उल्लेखनीय है कि अयोध्या सेल के अधिष्ठाता श्री नरेश चन्द्र ने अवश्य ही शासन को अपनी आख्या प्रस्तुत की होगी, परंतु वह आख्या आज तक शाया नहीं की गयी । अलबत्ता सेल द्वारा एक श्वेतपत्र अवश्य प्रकाशित हुआ पर उसमें इस अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी नहीं है कि जव वह ढांचा मस्जिद नहीं, अपितु एक सक्रिय मंदिर था तो प्रधानंमत्री ने 6 दिसम्बर को कैसे ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी गयी । और यदि वह वास्तव में बाबरी मस्जिद थी तो श्वेतपत्र में उसे बाबरी मस्जिद कहकर एक बार भी सम्बोधित क्यों नहीं किया गया ? श्वेत पत्र में उसे " विवादित ढांचा " विवादित पूजा स्थल अथवा " आर. जे. बी. बी. एम. काम्प्लैक्स " ही कहकर क्यों पुकारा गाय ।

खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार के समक्ष सारी साक्ष्य सामग्री रखे जाने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला ।

प्र16. ऐसा तो नहीं है कि रामजन्मभूमि की वापसी की मांग हजारों तोड़े गए मंदिरों की वापसी करने की मांग का अग्रदूत हो ?

कदापि नहीं । सदा से केवल पुनीतों में तीन महापुनीत मंदिरों की ही मांग रखी गयी है । अन्य हजारों ध्वस्त किए गए मंदिरों की वापसी की बात न कभी उठाई और न उठाई जाएगी । इस संबन्ध में जनवरी 1991 मे विहिप ने शासन को लिखित रूप में सूचित किया था कि –

" हम उन हजारों मंदिरों की मांग नही कर रहे हैं जिन्हें ध्वस्त करके मस्जिद में परिणित किया गया था ..... हम केवल तीन ही मंदिर चाहते हैं – वे तीन जो प्राचीन काल से हिन्दूओं के लिए परम पुनीत रहे हैं । और हम इन्हें मुंस्लिम समुदाय स्वयं से वापिस लेना पंसद करेंगे न कि सरकारी आदेशों से बाबर और औरंगजेब सरीखे मतांध कट्टर पंथियों और हत्यारों द्वारा पदाक्रांत किए गए हमारे तीन मंदिरों को पदाक्रान्त बनाए रखकर मुस्लिम समुदाय देश में क्या संदेश पहुचांना चाह रहा है ? हम अपने मुस्लिम साथियों को बाबर और औरंगजेब के अनुयायियों के रूप में सोचने तक का विचार नहीं कर सकते । अब यह उन पर निर्भरा करता है किवे कोई ऐसा कदम उठांए जो यह संदेश दे कि मुस्लिम समुदाय भारत के इतिहास के एक अंत्यंत दुखदायी भाग से अपना नाता तोड़ने के लिए तत्पर है । "

आज से दस वर्ष पूर्व विहिप ने अपने विचार व्यक्त कर दिए थे । इन विचारों से स्पष्ट हैं कि हिन्दू कैसी भी बदले की भावना से प्रेरित नहीं है ।

प्र. 17. क्या बाबरी ढांचा उस स्थान से कहीं अन्यत्र ले जाया जा सकता था जहां उसे स्थापित किया जाता ?

एक समय में मुस्लिम ढांचा उस स्थान से कही अन्यत्र ले जाया जा सकता था जहां उसे स्थापित किया जाता ?

एक समय में मुस्लिम समुदाय के समक्ष ऐसा सुझाव अवश्य रखा गया था । इसके पीछे हिन्दूओं द्वारा मुसलमानों की उस ढांचे के प्रति भावनाओं को सम्मान देने का मन्तव्य था । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बदले की भावना किंचित भी नहीं रही है । यथार्थ तो यह है कि उस ढांचे के वास्तविक मालिक सहनवा निवासी

शिया मुतवल्ली ने लिखकर उस ढांचे को सहनवामें पुर्नस्थापित करने का सुझावा दिया था जिससे वह स्थान हिन्दूओं के पास वापिस पहुंच जाए ।

अमेरिका में बहुमंजिली इमारते एक जगह से दूसरी जगर सहूलियत से पहुचांई जा रही हैं अतः ऐसा कर पाना संभव हो सकता है यह मानकर वह प्रस्ताव रखा गया था । परंतु अ. भा. बी. एम. ए. सी. ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था ।

प्र. 18. आखिर राममंदिर उस विवादित स्थल पर ही क्यों बनाना चाहिए ?

इसका सटीक उत्तर तो एक प्रति प्रश्न द्वारा ही संभव है । आखिर राम का मंदिर उस विवादित स्थल पर ही क्यों न बनाया जाए ? विवादित स्थल ह ीवह स्थान है जहां राम जन्मे - वह जन्म स्थान राम का है । इतना कारण ही पर्याप्त है ।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक उत्कृष्टतम मानव के साक्षात स्वरूप थे । ऐसे भगवान समान दिव्य महामानव के जन्मस्थान पर मंदिर बनाने में कैसा भी एतराज होना तो साक्षात मानवता का तथा अप्रतिम मानवीय मूल्यों का ही अपमान होगा । लोगों सम्भवतः आज भी स्मरण होगा कि जब रामायण सीरियल टी. वी. पर आता था तो लाहौर की सड़कों पर भी दिल्ली की सड़कों के अनुरूप सूनी हो जाती थी । राम के जीवन के प्रसंगों की कथा सुनने वाले के व्यक्तित्व में अनायास व प्रवृत्तियां स्वयं सृजित होने लगती हैं जो किसी मनुष्य को सरल सुदंर और कल्याणकारी बनादें ।

राम की जन्मस्थली पर श्रीराम का भव्य मंदिर बने इसे सुनिश्चित करना केवल हिन्दूओं का ही कर्तव्य नहीं अपितु संसार के उन लोगों का कर्तव्य बनता है जो मानवीय मूल्यों में आस्था रखते हैं ।

श्रीराम के वैसे तो हजारों ही मंदिर है पर जन्मस्थान तो केवल एक ही हो सकता है और वह अयोध्या में है । और वहां पूर्व में एक भव्य मंदिर विद्यमान भी था । डा. नारायण ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया है जो तारीखे अवध ऊ मुरक्का ई खुसरवी के नाम से 1869 में शेख अजमत अली काकोरवी नामी ने मुकम्मल किया था । यह दस्तावेज कहता है - '' बाबरी मस्जिद 923 ए. एच. में सययद मूसा आशिकन के संरक्षण में बुतखाना ए जन्मस्थानन में फैजाबाद मूसा आशिकन के

संरक्षण में बुतखाना ऐ जन्मस्थान में फैजाबाद अवध में एक दिव्य पूजा स्थल जो राम के पिता की राजधानी थी में बनाया गया था जब 1869 में एक मुसलमान ने राम की जन्मस्थली के लिए ऐसी श्रृद्धायुक्त भाषा का प्रयोग किया जो श्रीराम के अनुयायियों का पुनीत कर्तव्य बनता है कि उस स्थान पर वे श्रीराम के भव्य मंदिर का पुनर्निमाण करें ।

जब महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण सरीखे पुरूष जो श्रीराम की महिमा के आसपास भी नही उतरते परंतु फिर भी उनके जन्मस्थानों पर उनके स्मारक बनाए गए हैं तो मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने की बात पर कैसा भी प्रश्न चिह्न लगाने का कोई औचित्य कैसे हो सकता है ।

प्र. 19 श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन के मूल में वास्तव में क्या है ?

हिन्दूओं के पुनीततम मंदिरों के शरीर पर जब बलात्कार की मुद्रा में मस्जिदों को आरूढ़ कर दिया गया हो तो उससे पैदा हुए सदमें से हिन्दूसमाज की मानसिकता एक तरह से सुन्न सी हो गयी , मानों जैसे आक्रान्ताओं ने हिन्दू की आत्मा को ही बंधक बना डालाहो । अप्रतिम, अद्भुत और अलौलिक विरासत का वारिस हिन्दू अपने आपको हिन्दू कहने में लज्जित सा महसूस करने लगा था । इससे अधिक अपमानजनक क्या अवस्था किसी भी समाज की क्या हो सकती है ? इन तीन मंदिरों को वापस लेकर उन्हें पुनः अपनी पूर्व प्रतिष्ठा पर स्थापित करके हिन्दू सदियों से बंधक पड़ी अपनी उस आत्मा की मुक्ति का द्वार खोलना चाहते हैं । इसीलिए इस नितान्त मानवोचित आकांक्षा के परम औचित्य को पहचानकर 9.97 करोड़ हस्ताक्षरकर्ताओं में 3.97 लाख से अधिक मुसलमानों तथा 1.19 से अधिक ईसाइयों का सम्मिलित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।

हिन्दू इस आंदोलन को अपने स्वाभिमान , अपने सहज सम्मान और अपने गौरव की पुर्नस्थापना के रूप में देखता है । यह आंदोलन केवल मंदिर के ईट और गारे का मामला नहीं है ।

जो विशाल और व्यापक समर्थन श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन को प्राप्त हुआ है उससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कि श्रीराम इस राष्ट्र इस का हृद्‌य हैं – वे भारतीय सभ्यता के मेरूदण्ड हैं और सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय एकता को मूर्त रूप देने में समर्थ है । हिनू समाज का कोई एसा अंग नहीं जो इस आंदोलन से विश्व भर के हिन्दू ही रोंमाचित नहीं हुए बल्कि सारे दक्षिण पूर्वी देश रोमांचित हुए जिन्होनें भारतीय सभ्यता, भारतीय शाश्वत मूल्यों को स्वीकार कर रखा है , भले ही उनके मजहब भिन्न हों ।

इस आंदोलन की आत्मा की सही पहचान की सर विद्याधर नायपाल ने जो इंग्लैण्ड में बसे हैं और जिनकी कठोर निष्पक्षता, तीखी शोधात्मक दृष्टि और सोच की निर्मलता विश्व विख्यात है ।

भिन्न भिन्न समय पर तीन भिन्न पत्रकारों ने उसी जमाने मे उनका साक्षात्कार किया था । सर विद्याधर के विचार उन्हीं की भाषा में व्यक्त करना अधिक उचित होगा ।

" एन एरिया आफ अवेकनिंग "

दिलीप पडगांवकर द्वारा साक्षात्कार ?

द टाइम्स आफ इंडिया 18 जुलाई 1993

पडगांवकर (सोवियत यूनियन का स्खलन और उससे जनित इस्लामिक देशों का सृजन, सलमान रुश्दी का प्रसंग, उसी प्रकार के उदारवादी मुसलमानों का इस्लामी कट्‌टरवादियों द्वारा उत्पीड़न, से सारी बातें ऐसी हो रही हैं जिनके कारण कुछ शक्तियों ने निष्कर्ष निकाला है कि एक बंटा हुआ हिन्दू समाज इस्लामिक कट्‌टरवाद का जवाब नहीं दे पाएगा ।

नाइपौल (ना) : मैं इसे कुछ इस तरह नहीं देखता आपने जितनी घट्नाओं का जिक्र किया वे सब सतही हैं । भारत में जो हो रहा है वह एक ऐतिहासिक चेतना का संसार है । गांधी ने मजहब का प्रयोग आजादी दिलवानें के लिए किया । जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े वे वे कुछ नाम कर जाएंगें इसीलिए जुड़े । आज भारतवासी अपने इतिहास की चेतना से अनुप्राणित है । रोमिला थापर की

इतिहास की चेतना मार्क्सवादी मानसिकता का इतिहास है जो समझाना चाहती है कि आक्रांताओं के आक्रमणों के पीछे कोई दैवीय योजना थी । इस इतिहास की सही पहचान करनी है तो पहचानना होगा कि आक्रान्ता अपने आक्रमणों का अंकन अपनी निगाह में क्या करते थे । वे विजयी होते जाते थे, गुलाम बनाते जाते थे और वे एक ऐसे देश में थे जिनके लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है । केवल अब लोगों को चेतना आ रही है कि भारत बुरी तरह रौदां गया है । आक्रातांओं की प्रकृति जिस प्रकार की थी और हिन्दू समाज के संस्कार जैसे थे उनके कारण उन्हें वास्तविकता का बोध तब नहीं हो पाया ।

भारत में आज एक प्रचण्ड सृजन की बेला है । जो भारतीय बुद्धिजीवी अपने उदारवाद में व्यस्त हैं वे नही समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है । विशेषतया वे बुद्धिवादी जो अमेरिका में बसे हुए हैं । परंतु प्रत्येक भारतीय पहचान रहा है कि क्या हो रहा है । अन्तःकरण की गहराइयों में एक व्यापक समर्थन का अनुभव हो रहा है । भले ही उस समर्थन की व्यापकता से वह भयभीत ही क्यों न हो रहा हो ।

एक विचित्र प्रकार का उदारवाद तो सब देख रहे हैं । वह उदारवाद एक प्रकार के कट्टरवाद जिससे वे स्वयं भयाक्रान्त हैं- इस्लामी कट्टरवाद । इसकी मूल शक्ति अरब धनशक्ति है । बुद्धिजीवी इसमें कुछ एतराज नहीं मानते । मैं हिन्दू प्रतिक्रिया को एक कट्टरवाद के प्रत्युत्तर में दूसरे कटटरवाद को नहीं देख पा रहा । इस प्रतिक्रिया का रूप कही अधिक व्यापक है । मुस्लिम कट्टरवाद मौलिक रूप में ऋणात्मक है, एक प्रकार की बचाव प्रक्रिया उस संसार से है जिसका भाग बनने की भी उसमें उत्कट इच्छा है । एक प्रकार से संसार से बचाव का आशाहीन अंतिम प्रयास ।

पर हिन्दूओं में जो अपने इतिहास के प्रति चेतना जगी है वह नई बात है । कुछ भारतवासी मिश्रित संस्कृति की बात करते हैं । ऐसी बात सदा हारने वाले लोग किया करते हैं । व्यवहार में संस्कृतियों का मिश्रित होना नितान्त सम्भव है । परंतु उस मिश्रित संस्कृति को ही असली संस्कृति वही मानता है जो अपने मूल को भूल चुका हो ।

(प) अयोध्या प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही ।
(ना) इतनी बुरी भी नहीं थी । जो लोग कह रहे हैं कि वहां मंदिर था ही नहीं वे इस आंदोलन के मूल से अनभिज्ञ हैं । आपकों यह स्वीकार करना होगा कि बाबर के मन में अपने जीते हुए देश के लिए केवल हिकारत थी और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना उसी हिकारत का रूप था ।
टर्की में उन लोगों ने सेंटा सोफिया के चर्च को मस्जिद में परिणित किया था । निकोशिया में तो कितने ही चर्चों को मस्जिद बनाया गया था । स्पेन के वासियों ने कितनी ही शताब्दियां अपनी स्वतंत्रता वापस हासिल करने के लिए लगाई थी ? तो ये सारी हकीकतें बहुत काल से होती आई हैं ।

अयोध्या में हिन्दू के परम श्रृद्धा के स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर केवल अपमान करने की नीयत से ही मस्जिद बनाई गयी थी । वह कृत्य राम के चरित्र की 2-3 हजार वर्ष प्राचीन छवि पर सोचा समझा गया प्रहार था ।
(प) जो लोग गुंबद पर चढ़े थे वे दाढ़ी वाले, गेरुआ वस्धारी माथे पर धुनी रमाए लोग नहीं थे । वे युवा, जीन्स और टी शट्र पहने लोग थे ।
(ना) जो लोग गुम्बद तक पहुंचे थे उनके सीने में उबलने लावा को समझनेकी जरूरत है । जीन्स और टी शट्र केवल सतही वस्तुएं हैं उनके अन्तस का आक्रोश ही वास्तविकता है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता । उस वेग को संयमिमत करना होगा ।

भारत में अब तक विचार ऊपर से थोपे जाते रहें हैं । कुछ काल पूर्व मैंने भारत की दशा वर्णित की थी । **फटेहाल रोदा गया और चकनाचूर** । उन्नीसंवी शताब्दी के विचारकों द्वारा बंगाल से नवचेतना की लहर उठी थी । वह विचार श्रंखला ऊपर से चली थी । आज आंदोलन की शक्ति नीचे से उठी है ।
(प) हाल में मैंने सहयोगी काट्रूनिस्ट आर के लक्ष्मण के साथ महाराष्ट्र में हजारों मील का दौरा किया । कितने ही स्थानों में मूर्तियों के नाके और देवियों के स्तर काटकर फैंके हुए पाए थे जो किसी आक्रान्ता की विजय के प्रतीक थे । हिन्दूत्ववादी आज उन अपमानित मूर्तियों के सहारे भावनाओं को उत्तेजित करने का कार्य कर रहे

हैं । समस्या यह है कि इन भड़की हुई भावनाओं को छलकने और नए तनावों को जन्म देने से कैसे रोका जाए ।

(ना) मुझे अहसास है । पर उन्हें गाली देने अथवा यूरोप से प्राप्त उस फैशनेबल शब्द फासिस्ट का लेबिल लगाने से काम नही चलेगा । भारत में एक विराट एतिहासिक प्रक्रिया करवटें ले रही है । दानिशमंदों को इसे समझने की जरूरत है जिससे इसका नेतृत्व कट्टरपंथियों के हाथों में न रहे । वास्तव में उन्हें इस शक्ति का प्रयोग भारतवासियों की मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए उपयोग करना चाहिए ।

सर विद्यासागर नाईपौल का राहुल सिंह द्वारा साक्षात्कार
द टाइम्स आफ इंडिया , 23 जनवरी 1998

(रा) आपने टाइम्स आफ इंडिया को एक साक्षात्कार दिया था जिसे भाजपा ने बाबरी ढांचा ध्वस्त करने का समर्थन माना था । क्या इसे आप गलतफहमी कहेंगे ।

(ना) मुझे बोध है कि मैं ने जो कुछ कहा था उसका भिन्न अर्थ निकाला जा सकता है । मैंने तो इतिहास का जिक्र किया था । मैंने तो इतिहास की उस प्रक्रिया की बात की थी जो होनी ही थी । मेरे विचार में 1000 ए. डी. से प्रारम्भ हुई मुस्लिम आक्रान्ता के आक्रमण की एक घटना को भारत कई सौ साल तक जीता चला गया है । उस घटना से सदियों से चली आ रही एक पूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक थाथी आहत हुई थीं । मेरे अनुमान में भारतवासी उस आघात को भुला न हीं पाए हैं । वस्तुतः उस सबने इतनी गहरी पीड़ा पहुचांई कि उन्हें यह भी होश नहीं है कि वास्तव में सब कुछ हुआ क्या था । मेरा विचार यह है कि भाजपा का आह्वान और वह मस्जिद का मामला इतिहास को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयत्न है । यह बहक सकता है और इसका राजनैतिक लाभ उठाने को गलत भी माना जा सकता है । परतुं फिर भी यह इतिहास की प्रक्रिया का अंश ही है और उसे फासिस्म कहकर गाली देने वालों को सोचना चाहिए कि आखिर उस आंदोलन की प्रतिध्वनि करोड़ों हृद्यों में इतने व्यापक स्तर पर क्यों गूंज रही है ।

‘‘ द ट्रुथ गवर्न राइटिंग ’’

सदानन्द मेनन द्वारा सर विद्याधन नाईपौल का साक्षात्कार 5 जुलाई 1998

मेनन (मे) अबकी आगमन पर आपने जो विचार प्रकट किए उससे संकेत मिल रहा है कि मानो उदीयमान संकुचित हिन्दू राजनैतिक व्यवस्था की संगठित शक्ति को देखकर आप ..... हो सकता है कि मेरा शब्द चयन गलत हो .... अत्यंत प्रसन्न हुए हैं आप अपनी इस प्रतिक्रिया को कैसे निभा पाएंगे ।

(ना) नहीं ! मैंने कोई प्रसन्नता वगैरह नहीं प्रकट की थी । मैंने तो केवल इतिहास की बात की थीं । मैंने उस आंदोलन की बात कही थी । मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं यहां हिन्दू धार्मिक शासन चाहता हूं । मैनें जो कहा था वह यह कि इस्लाम भारत में व्यापकता से विद्यमान है । उसका कारण रहा है और हम उसके कारण से आखं नही मूंद सकते । आक्रांताओं के आक्रमण बहुत नीचे दक्षिण तक हुएं थे - मैसूर तक । जब आप दसवीं सदी या उससे भी प्राचीन अनगिनत मंदिरों को देखते है जिन्हें बेदर्दी से विध्वंस किया गया है तो उससे साफ प्रकट होता है किवह कोई खेल नही खेला गया था । एक अत्यंत भयंकर काल बीता था । मैं महसूस करता हूं कि उन आक्रमणकारियों ने अपने में पूरी तरह पूर्ण और संतुष्ट संसार से अछूती, एक पूर्ण संस्कृति को प्राणलेवा आघातों से आहत किया था । और मैं चाहूंगा कि कि लोग उस प्राचीन संस्कृति को श्रृद्धा से देखें । उसे समझने की कोशिश करें, न कि उस संस्कृति के खण्डहरों में जीवन बिताएं । प्राचीन में एक पूरा संसार ध्वस्त हुआ था । प्राचीन हिन्दू भारत को विध्वंस करके रौदां गया था ।

(मे) भारत के इतिहास में बहुत से परिवर्तन भी हुए और बहुत सी घटनांए एक के ऊपर एक घटित होती गयीं । पर क्या वह घटनाक्रम आज एक ऐतिहासिक प्रतिशोध लेने को न्यायोचित ठहराता है ? क्या ऐसा घटनाक्रम ऐसे प्रतिशोध को अवश्यभांवी बनाता है ? आप अपने मन के दर्पणमें कैसे घटनाक्रमों को घटित होते हुए देख रहे हैं ।

(ना) नहीं ! मैं ऐसा नहीं सोचता । ऐसा घटनाक्रम होना अवश्यंभावी नहीं है ।यदि लोग इतिहास को स्वीकार कर लें तो पराजय और गहरी लज्जा की भावनाओं को

बलात दबाया नहीं जा सकता और तब कालान्तर में इतने भयावह हिंसा के विस्फोट नहीं हो सकेंगे । जैसे जैसे लोग सुरक्षित अनुभव करेंगे और जैसे जैसे मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे वे लोग उन भावनाओं के घेरे में आते चले जांएगें । और यह वो वर्ग हैं जिसकें अन्तस की गहराइयों में उस महान पराजय की स्मृतियों से जनित भावनांए उन्हें आंदोलित कर रहीं हैं । जो गाइड बेलूर और हेलेबिड के मंदिरों को दिखाते हैं वे हर समय उसी काल की घटनाओं को ही तो दोहराते हैं । आज से 20 वर्ष पहले जब मैं वहां गया था तब वे गाइड ऐसी भाषा नहीं बोलते थें । अतः जैसे जैसे नई पीढ़ी आती जाती है अपने इतिहास को चुपचाप स्वीकार करने के स्थान पर अनेक प्रश्नों के उत्तर चाहती है । मेरा मत है कि हमें उनकी वेदना, उनके आक्रोश को संवेदना से समझना चाहिए । उनका वह वेदनामय आक्रोश कदापि निन्दनीय नहीं है । वे लोग अपने को समझने की कोशिश कर रहे हैं । उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए । उन्हें गम्भीरता से लिया जाना चाहिए । उसने वार्ता करनी चाहिए ।

(म) पर क्या आप नहीं मानते कि इससे यह प्रवृत्ति और उग्र रूप धारण करेगी । धर्म और इतिहास की मनमाने ढंग से व्याख्या करके उसे सड़क छाप बनाने की प्रवृत्ति ?

(ना) मेरा मत है कि यह प्रवृत्ति तब तक बढ़ती ही जाएगी जब तक आप उसे सतत गाली ही देते चले जाएंगे । हां यदि आप हिंसा भड़काना चाहते हैं तो हिंसा अवश्य भड़केगी पर यदि उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया गया तो वे शांत भी हो सकते हैं ।

प्र 20. जो लोग यह कहते हैं कि अयाध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोई राममंदिर नहीं तोड़ा गया था उनके कथन का क्या औचित्य है ?

ऐसे लोग स्पष्टतया या तो बिल्कुल अज्ञानी हैं या फिर ऐसा कहकर सारे विषय को शक के घेरे में डालकर हिन्दूओं के दिमाग में भ्रांतियां पैदा करना चाहते हैं । ऐसी राजनीति वे लोग ही इस्तेमाल करते हैं जिनकी पास अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए दलीलें नहीं बचती । दृष्टांत के लिए श्री शहाबुद्दीन जो अ. भा. बी. एम. ए.

सी. के जाने माने अध्यक्ष थे, ने सबसे पहले खुलेआम ऐलान किया था कि " यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि बाबरी मस्जिद, मंदिर को ध्वस्त करके उस पर बनाई गयी है तो पहला व्यक्ति होंगा जो राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखूंगा । जब यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया गया कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर ही निर्मित की गयी थी तो उन्होंने पैंतरा बदलकर कहना शुरू कर दिया कि यह सिद्ध किया जाए कि राम उसी स्थान पर जन्में थे । वे इस बात को भुला देते हैं कि उसी स्थान पर हर वर्ष रामनवमी (श्रीराम का जन्मदिन) पिछले हजारों साल से मनाया जाता चला आ रहा है और वहा सम्पूर्ण भारत में वीसियों लाख श्रृद्धालू हर वर्ष आते हैं । आखिर राम के सहस्रों और मंदिर भी है । अयोध्या में ही सैकड़ों होंगे पर सारा भारतवर्ष तो इस तरह अन्य किसी मंदिर में नही टूटता । शाहबुद्दीन तो केवल 200 वर्ष पहले जन्में अपने पूर्वज के जन्म स्थान को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, राम तो फिर 10000 वर्ष पहले जन्में थे । किसी पूर्वज का जन्म स्थान कौन सा है, तर्क का नहीं , विश्वास का विषय है । भ्रान्ति के स्तर को बराबर बनाए रखने के लिए उस पक्ष के लोग अद्भुत दलीलें प्रस्तुत करते हैं । कुछ कहते हैं कि राम तो एक काल्पनिक चरित्र थे ।यथार्थ में वे कभी जन्में ही नहीं । जब उनकी यथार्थता प्रमाणित होती है तो कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे केवल एक साधारण मनुष्य थे । जब ग्रंथों और इतिहास से उनके अद्भुत गुणों का प्रमाण मिलता है तो कहते हैं अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे । जब वह प्रमाणित हो जाता है तो कहते हैं कि ये अयोध्या वो राम वाली अयोध्या ही नहीं है अथवा फिर श्री शाहबुद्दीन की तरह प्रमाण चाहते हैं कि राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां गर्भ गृह है ।

रामंदिर के विरोधी तर्क का कितना आदर करते हैं यह प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के इस कथन से साफ हो जाता है ।

" विहिप द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री की वे (ए. आई. बी. एम. ए. सी. के प्रतिनिधि) काट करने के प्रयास तक करने को तैयार नहीं हैं जिससे कम से कम यह तो संदेश जाएगा कि उनके विरोध में कुछ तर्क हैं । विहिप ने अत्यंत निष्ठा और

ईमानदारी से उनके विरोध के आधार की जानकारी करनी चाही है पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लग पाया । ''

प्र.21. क्या श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन है ?

कदापि नही ! पिछले 3000 वर्षो का प्रकट इतिहास इस बात का प्रमाण है कि राजनीति और धार्मिक आस्थाओं के क्षेत्र सदा ही अलग अलग रहे । जब राजाओं ने अपना धर्म बदला तो तो भी उनकी राजनीति यथावत बनी रही । हिन्दू शासन व्यवस्था में कभी भी धर्म ने राजनीति को प्रभावित नहीं किया और नही राजनीति ने धर्म को ।

राममंदिर को वापिस लेने के लिए 1997 से पूर्व 77 प्रयास किए गए थे पर उन प्रयासों के पीछे कैसी भी कोई राजनीतिक नीयत नहीं रही । उन 400 वर्षो में राममंदिर कई बार हस्तान्तरित होता रहा परंतु हर युद्ध के पीछे गहरी धार्मिक भावना ही व्याप्त रही ।

जब 1949 में रामलला प्रकट हुए तब भी जो अदालत में मुकदमा चला उनमें किसी भी पक्ष के पीछे किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं रहा ।

इस प्रकरण का राजनीति में आगमन तब हुआ जब राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाकर कांग्रेस दल के लिए राजनीतिक लाभ देने का कुचक्र चलाया । उसके बाद कैसे कैसे इस प्रकरण का राजनीतिकरण होता चला गया वह तो अब इतिहास ही बन चुका है ।

हिन्दूओं के लिए राममंदिर प्रकरण कोई ईंट गारे का मसला नहीं है उनके लिए यह आत्मसम्मान और आत्मगौरव का प्रश्न है । मर्यादा पुरुषोत्तम राम हिन्दू संस्कृति के मेरूदण्ड है । यह आंदोलन हिन्दू सांस्कृतिक नवचेतना का अग्रदूत है । 9 नवम्बर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अन्य कैबिनेट मंत्री एन. वी. गाडगिल के समक्ष एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की थी कि ज्योर्तिलिगं पुनः सोमनाथ के मंदिर में उसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाएगा जिस स्थान पर महमूद गजनी से लेकर औरगंजेब तक ने कितनी ही बार लूटा और तोड़ा । यह घोषणा सामूहिक चेतना का बिम्ब थी । उस दिन सरदार पटेल ने स्पष्ट कहा । '' हिन्दू

भावनांए अत्यंत तीव्र और व्यापक हैं । इस काल में (सोमनाथ) मंदिर के पुनःरुद्धार अथवा उसके अस्तित्त्व के काल को कुछ बढ़ा देने से कोई संतुष्टि नहीं होने वाली है । ज्योतिर्लिंग का अपने पूर्व स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित होना हिन्दूओं के सम्मान और गहरी भावनाओं का प्रश्न है । ''

अस्तु श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन कदापि राजनेतिक आंदोलन नहीं है । यह तो राष्ट्रीय सम्मान और व्यापक जनभावनाओं का प्रश्न है । साथ ही यह सरदार का छूटा हुआ काम है ।

प्र. 22 प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हाल में कहा 350 वर्ष पुरानी गलती को ठीक करने मे कुछ नहीं रखा है कोई टिप्पणी ?

यदि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कहा है तो विदित है कि उनके ध्यान में एन. डी. ए. का एजैण्डा ही रहा होगा । परतुं यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाए तो सम्पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम भी बेमानी हो जाएगा । आखिर गुलामी भी तो 250 वर्ष पुरानी गलती इस देश के साथ हुई थी ।

जिस भी प्रसंग में राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का गौरव और राष्ट्र भर की आन का सम्बंध होता है उस प्रसंग में शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियां अप्रासंगिक हो जाती हैं । स्पेनवासियों ने 400 वर्ष बाद न केवल अपनी स्वतंत्रता मुस्लिम मुअरस से छीनी अपितु देश भर के गिरजे गिराकर जो मस्जिदें बनायी गयीं थी उन सारी मस्जिदों का गिराकर पुनः गिरजे स्थापित किए थे । इतना ही नहीं जो सारे देशवासियों को मुअरस ने ईसाई से मुसलमान बनाया था उनको ही नहीं अपितु हर व्यक्ति जो देश में रह रहा था उन्हें पुनः ईसाई बनाया था ।

इस संदर्भ में श्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने जो पत्र पडित नेहरू को राष्ट्रपति द्वारा सोमनाथ का उद्घाटन के संबंध में होने वाले मतभेदों को लेकर लिखा था उसके एक अंश को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा ।

'' ..... कल आपने हिन्दू पुनर्जागरण के सम्बन्ध में चर्चा की थी । मेरे लिए स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा यदि वह मुझे मेरी भगवत गीता से वंचित कर दे अथवा इस देश के करोड़ों देशवासियों की वह श्रद्धा को उजाड़ दे कि जिस

श्रृद्धा से वे अपने मंदिरों को निहारते हैं । फिर तो जीवन का सारा ताना बाना ही बिखर कर रह जाएगा ।

सोमनाथ का पुनर्निमाण समूचे राष्ट्र की भावना से जुड़े प्रसंग था । वही प्रचण्ड भावना समूचे विश्व के हिन्दूओं में व्याप्त है । बाबरी ढांचा इस देश कीगुलामी का चिन्ह था । कोई स्वाभिमानी और स्वतंत्र राष्ट्र जिसे अपने अभ्युदय तक पहुंचना है ऐसे ढांचे को सहन नहीं कर सकता है । यह एक बहुत ही भ्रामक सोच है किवह राष्ट्रीय अपमान 350 वर्ष पुराना था । उसका प्रारम्भ सदियों पहले अवश्य हुआ होगा पर विश्वविद्याालय इतिहास कार सर आरनल्ड तौयन्बी के शब्दों में –

" ..... हिन्दूओं के पवित्रों में पवित्रतम मंदिर (भगवान राम) पर (मुगलों के) प्रभुत्व की प्रत्यक्ष दिखता हुआ प्रदर्शन आज भी वैसी ही टीस पहुंचा रहा है जो तब पहुंचाई होगी जब यह अनाचार किया गया ..... " (अर्थात कालान्तर अप्रासंगिक है)

प्र.23. रामजन्मभूमि आंदोलन साम्प्रदायिक नफरत तो नहीं पैदा कर देगा ? तथा क्या यह देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को छिन्न विच्छिन्न तो नहीं कर देगा और संविधान में सजाई धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र की संकल्पना को मिट्टी में नहीं मिला देगा ?

कदापि नहीं ? इसके विपरीत इस देश के इतिहास की इस घड़ी में यह आन्दोलन ऐसा अद्भुत अवसर दे रहा है कि जिसका लाभ मुस्लिम समुदाय उठा ले तो हिन्दू और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व प्यार और सौहार्द की सरिता बह उठेगी ।

अपनी पूजनीय स्वर्गीय मां की पुण्यतिथि पर आगरे में एक विशाल समुदाय को सम्बोधित करते हुए आज से 17 वर्ष पहले 1984 विहिप के तत्कालीन महासचिव श्री अशोक सिंघल ने सार्वजनिक घोषणा की थी –

" ..... आज विधाता ने ऐसा अद्भुत अवसर देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि हिन्दू और मुसलमानों के बीच सदा सदा के लिए अत्यंत प्यार और सौहार्द स्थापित हो जाए ..... "

इस रहस्य को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा –

" ..... यदि मुस्लिम समुदाय स्नेह और सौहाद्र से हमारे पवित्रों में पवित्रतम तीन मंदिरों - अयोध्या , काशी और संवेदनाओं का समुचित आदर करने लगें तो वे हिन्दूओं के हृद्य को सदा के लिए जीत लेंगे । फिर जैसा कुरान में लिखा बताया गया है कि 1400 वर्ष बाद इस्लाम समाप्त हो जाएगा तो भले ही इस्लाम अन्यत्र सारे संसार में समाप्त हो जाए पर भारत में इस्लाम तब तक जीवन्त रहेगा और सशक्त बना रहेगा जब तक इस भूमि पर हिन्दू मौजूद है ..... "
यह एक विडम्बना ही है कि अपने तुच्छ स्वार्थों से घिरे इस देश के मुस्लिम नेतृत्व ने इस अनमोल अवसर का आज तक लाभ नही उठाया । अभी भी समय उपलब्ध है । मुसलमानों को थोड़ा ठहरकर गम्भीरता से सोचना होगा कि भविष्य के भारत में वे हिन्दूओं के साथ कैसे रिश्तों की परिकल्पना कर सकते हैं । जैसे रिश्तों की परम्परा पिछले पचास सालों में भला हो पाया हो और नमुलसमानों का उल्टे समय समय पर साम्प्रदायिक दंगों का कलंक भारत माता के माथे पर लगता ही चला आया है । अतः गम्भीर चिंतन करके उस नई राह पर चलने का समय आ गया है कि जिससे यह राष्ट्र ऐसी ऊंचाइयों को छू सकेगा जिससे हर भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा रह सके ।

बहकाने वाले यह भी कह सकते हैं कि संघ परिवार कोई सारे हिन्दूओं का प्रतिनिधि नहीं है । प्रथम दृष्टया यह कथन सही भी प्रतीत हो सकती है पर यह भी याद रखना आवश्यक है कि इस परिवान ने ही " राम मंदिर वहीं बनेगा .... " के आग्रह पर 9 करोड़ सत्तान्वे लाख से भी अधिक हस्ताक्षर एकत्रित करके वह ज्ञापन राष्ट्रपति जी को 18 मई 1993 को प्रस्तुत किया था । अस्तु यह परिवार यदि हिन्दू समाज का प्रतिनिधि कहलाने के योग्य नही माना जाएगा तो अन्य होई तो इसके आस पास भी नही आ सकेगा ।

अब जहां तक इस आंदोलन के कारण देश में सैक्यूलेरिज्म के खतरे वाली बात है तो संविधान निर्माताओं ने यह शब्द मूल संविधान में नहीं रखा था । उन्हें मालूम था कि जब तक इस्लाम और चर्च अपने धर्मग्रन्थों द्वारा धर्मान्तरण करने के लिए बाध्य बने रहेंगे तो ऐसी अवस्था में समाज में सेक्यूलेरिज्म का चलन एक

स्वप्न हीं रहेगा । परन्तु विभाजन के समय साम्प्रदायिक का चलन एक स्वप्न ही रहेगा ।परन्तु विभाजन के समय साम्प्रदायिक कड़वाहट चरम सीमा पर थी और अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 30 देकर उस कड़वाहट को समाप्त किया था ।

व्यवहार में सेक्यूलरिज्म का अर्थ बना हिन्दू विरोधी और अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण। दृष्टांत के लिए –

– मस्जिद में इमाम, नायब इमाम, मोअज्जिज आदि सारे अधिकारियों को सरकार के खजाने से वेतन मिलता है ।यह सरकार को बदनाम न करे इसलिए साल के 600 करोड़ अधिक सरकार वक्फ बोर्डों को अनुदान देती है और वेतन फिर वक्फ बोर्ड देता है । दूसरी तरफ अनेक मंदिरों के पुजारी आधे पेट जीते हैं, ग्रंथियों को कोई पूछता भी नहीं ।

– हजयात्रियों की सब्सिडी के लिए केन्द्र 30000 प्रति यात्री खर्च करता है पर अमरनाथ यात्रियों को 30000 और केदारनाि के लिए 40000 का जो खर्च पड़ता है उनके लिए कुछ नहीं दिया जाता । उल्टे हर तीर्थ यात्रा में हर जगह यात्री टैक्स भरना पड़ता है ।

– जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम को 30 लाख इंदिरा गांधी देती है और 40 लाख वी.पी सिंह देते हैं , जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए, पर उनसे कई हजार वर्ष प्राचीन बद्रीनाथ, केदारनाथ के मंदिरों के लिए किसी प्रधानमंत्री ने आज तक कोई ऐसा अनुदान कभी नहीं दिया ।

– हिन्दूओं के सारे प्रमुख और कुछ अन्य मंदिर सरकार नके अधिग्रहीत करके प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं और भक्तों द्वारा जो चढ़ावा अपने इष्टदेव पर भक्तजन चढ़ावा अपने इष्टदेव पर भक्तजन चढ़ाते हैं वह सरकार प्रशासक के आधिपत्य में रहता है । दूसरी तरफ जामा मस्जिद में एक बार असलाहों का जखीरा बरामद हुआथा , हजरत बल में हफतों उग्रवादी रहकर सरकारी बिरयानी खाते रहे, चिरार ए शरीफ में उग्रवादी रहकर सरकारी बिरयानी खाते रहे, चिरार ए शरीफ की नायाब मस्जिद फूंक डाली तो सरकार ने तत्काल उसे सरकारी खर्चे से बनवाया । कश्मीर में

ही 84 से अधिक मंदिर तोड़े जा चुके हैं पर किसी सरकार ने उनके पुनर्निमाण की सोची तक नहीं ।

दृष्टातं तो बीसियों और हैं जिनके बारे में देशवासी सामान्यतया अनभिज्ञ है ।

यही है भारत का सैक्यूलरिज्म पर यह स्पष्ट करना न्यायोचित होगा किइस नीति के निर्धारण में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है । यह कांग्रेस की कुटिल नीति रही ।

एक मां के दो सहोदरे पुत्र हों, मां एक को रोज घी चुपड़ी रोटी दे और दूसरे को रूखी सूखी डालती रहे तो अपने आप दोनों भाईयों में भयंकर वैमनस्य पैदा हो जाएगा । भारत में सैक्यूलर नीति अपनाकर पिछले 50 वर्षो में हिन्दू मुसलमानों में भयंकर वैमनस्य का एक प्रमुख कारण कांग्रेसी सेक्यूलरिज्म रहा है । श्रीराममंदिर आंदोलन से एक सैक्यूलरिज्म को क्या खतरा हो सकता है ।

फिर जिस देश में संसार के दो बड़े मजहबों के पास करोड़ों अरब डालर्स की शक्ति उपलब्ध हो ओर दोनों ही मजहब धर्मान्तरण के लिए मजहबी आदेशों से कटिबद्ध हों वहां कैसा, कौन सा सैक्यूलरिज्म है जो दम नही तोड़ देगा ।

प्र24. जिन शताब्दियों में पूजा स्थलों का विध्वंस करना आक्रांताओं की सामान्य रणनीति रही उन शताब्दियों में की गयी गलतियों को इस सदी में सही करना क्या बहुधा आवश्यक है ?

यह रणनीति भारत भूमि की सामान्य रणनीति कभी नहीं रही । यह रणनीति केवल इस्लामी तथा ईसाई आक्रान्ताओं रणनीति इसलिए रही कयोंकि न केवल उनके धर्म ग्रन्थों ने कर रखा है ।

उन अन्यायों को आज भी सही न करने की दलीलों को मान लिया जाए तो 1857 से 1947 तक जो असंख्य शहीद हुए वृथा ही हुए ऐसा मानना पड़ जाएगा । आखिर गुलामी को अन्याय को सही करने में भी बेहिसाब खून बहा था ।

स्पेनवासियों ने 400 साल के उपरांत आजादी जीतकर सारे अन्यायों को कैसे सुलझाया था इसका उल्लेख तो पूर्व में आ ही चुका है ।

1815 में जब रूस ने पौलेण्ड पर विजय प्राप्त की तो वारसा के चौक में एक विशाल कैथेड्रल (बड़ा गिरजाघर) अपनी जीत की खुशी में बनवाया था । 1918 में जब पौलेण्डवासियों ने जब गुलामी से निजात पायी तो स्वयं ईसाई होते हुए भी सर्वप्रथम रूसियों द्वारा बनाए उस कैथेड्रल को तोड़ गिराया । क्योंकि यह कैथेड्रल वासियों की विजय का प्रतीक था ।

दूसरी तरफ हिन्दू राजा शिवाजी ने जब विजय अभियान शुरू किया तो उन्होंने न कोई मंस्जिद धराशायी की और न हारने वाले को युद्ध के नियमों के विरुद्ध जलील करनके के लिए कोई कुकृत्य किया । बाबरी ढांचा जिस समय गिरा था वह पिछले 40 साल से एक मंदिर ही था । किसी भी दृष्टि से वह ढांचा मस्जिद नहीं था । उस विध्वंसक घटना की तुलना पूर्व काल में ही नहीं आज भी जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उससे कदापि नहीं की जा सकती ।

यह एक विडम्बना नही तो और क्या है कि जिन करोड़ों मुसलमानों को देश के विभाजन के समय भारत में ही सुरक्षित रहने के लिए सहारा दिया गया उन्हीं के वंशज आज हिन्दूओं के पवित्रतम तीन मंदिरों से अपना दावा छोड़ने तक के लिए तैयार नहीं हैं । कुरान शरीफ में एकसान फरामोशी को बहुत बड़ा पाप बताया गया है ।

यह बात जितनी बार दोहराई जाए कम है कि हिन्दूओं ने सन 1949 से आज तक राममंदिर के समाधानके लिए जो भी शांति पूर्ण समाधान सम्भव हो सकते थे उन्हें अमल में लाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ । अगर ये प्रयास सफल नहीं हो पाए तो उसके लिए हिन्दू समाज ही दोषी नहीं है ।

हजारो ध्वस्त मंदिरों की वापसी के लिए दावा न करना हिन्दूओं की उदारता को ही प्रदर्शित करता है । पर प्रमुखतम तीन मंदिरों को पुनः प्राप्त करने की बात को छोड़ने की बात सुझाना तो आक्रान्ताओं की दरिन्दगी कों अंगीकार करना ही होगा ।

प्र.25. बाबरी ढांचे को ध्वस्त करना क्या उस विकृत सिद्धान्त को स्वीकार नहीं होगा कि " दो गलती करने पर फल सही हो जाता है । "

आक्रातांओं द्वारा श्रीराम मंदिर को लूटना और फिर उसे ध्वस्त करना निःसंदेह पहली गलती हुई ।

पर फिर दूसरी गलती कहां और किसने की ?

यह तो पहले ही विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है कि जो ढांचा 6 दिसम्बर को ध्वस्त हुआ वह कोई मस्जिद नहीं थी । सबसे आलिम उलेमा भी किसी ऐसी इमारत को मस्जिद की संज्ञा नहीं दे सकते जिसमें पिछले 40 वर्षों से नियमित पूजा अर्चना चली आ रही हो । अतः हिन्दूओं द्वारा किसी गैर की इबादतगाह को नही तोड़ा गया था ।

हां ! वह ढांचा हिन्दू के अपमान का, और आक्रांताओं की विजय का प्रतीक था । अतः उसका ध्वस्त होना तो एक अन्याय का अंत अवश्य था । अन्याय का अंत जो भी करे जैसे भी करे समाज के मनोबल को शक्ति प्रदान करता है । अतः उसका ध्वस्त होनेा भी वास्तव में अत्यंत पुण्य का काम हुआ ।

हां यदि किसी पागलपन में जामा मस्जिद , दिल्ली , अजमेर शरीफ की दरगाह अथवा हजरतबल की मस्जिद को धराशायी किया गया होता तो वह अवश्य ही दूसरी गलती होती । और इस प्रकार की

दो गलतियां कभी सही फल नहीं दे सकती । इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए ।

प्र. 26. बाबरी ढांचे को ध्वस्त करना क्या आक्रान्ताओं के पाप का जुर्माना मुस्लिम समुदाय से वसूलना नहीं होगा ?

वर्तमान मुस्लिम समाज ने कौन सा जुर्माना भरा ? उन्होंने क्या खोया ? जो ढांचा गिरा था वह तो मंदिर की इमारत थी । चाहे सहसा ही मुख से क्यों न निकली हो '' यह तो मंदिर है '' तो तत्कालीन गृहमंत्री श्री चव्हाण ने स्वयं ही कही थी । तो मुसलमानों ने तो कुछ भी नहीं खोया । प्रतिश्ठा तो उन ए. आई. बी. एम. ए.

सी. की उन नेताओ ने खोई जिनका झूठ कि) कि वो बाबरी मस्जिद है) सारे संसार के सामने प्रदर्शित हो गया ।

यह ढांचा तो 42 साल से मंदिर बना हुआ था लाहौर की एक मस्जिद जो केवल 14 साल से इस्तेमाल नहीं हुई थी पुनः मस्जिद नहीं बनाई जा सकी थी इसका मुकदमा 1940 से प्रिवी काउन्सिल तक गया और उन्होंने फैसला मुसलमानों के खिलाफ दिया था । (देखें ए. आई. आर 1940 पृष्ठ 116, ए. एल. जेए 1940 पृ 552, 1940 ओ. डब्ल्यू. आर. पृ 1280, अ. एल. आर. 1940 पृ. 493) बाबरी ढांचे में पूजा अर्जना तो 40 सालों से भी अधिक से हो रही थी पर नमाज तो 58 वर्षों से किसी ने नहीं पढ़ी ।

6 दिसम्बर को " बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गयी थी " यह गलतफहमी प्रधानमंत्री नरसिंहराब द्वारा खुला असत्य बोलने के कारण और फिर यही बात बी. जे. पी. विरोधी सैकड़ों नेताओं ने सुबह शाम दोहराई (बल्कि आज तक दोहराते रहते हैं) तो गोबल्स के सिद्धान्त के अनुसार संसार भर में यह माना जाने लगा कि 6 दिसम्बर को वास्तव में जो ध्वस्त हुई थी वो एक मस्जिद ही थी ।

वह ढांचा मंदिर था या मस्जिद यह विवाद सदा के लिए समाप्त करने के लिए नवाब वाजिद अली शाह (1847-56) ने एक तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था उसमें एक सदस्य हिन्दू 1 मुसलमान और कम्पनी सरकार का अंग्रेज प्रतिनिधि था । उस आयोग ने निर्णय दिया कि -

" मीर बाकी ने ये इमारत किसी पूर्व इमारत को ढहाकर बनवाई क्योंकि इसमें पिछली इमारत का मलवा लगा है । इसमें पत्थर जड़ा है जिसमें लिखा गया है कि ये फरिश्तों के उतरने की जगह है । "

महत्वपूर्ण यह है कि आयोग ने इस ढांचे को न तो मंदिर माना है और नही मस्जिद ।

अतः ढांचे के ध्वस्त होने पर वर्तमान मुसलमानों ने कोई जुर्माना नही भरा ।

दूसरी तरफ 21 नवम्बर 1948 के पत्र द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जब्बाद हुसैन को तथाकथित बाबरी मस्जिद का मुत्तवली स्वीकार किया हुआ है । और जव्वाद हुसैन ने लिखित दिया हुआ है कि बाबरी मस्जिद को उसके गांव सहनवा में स्थानान्तरित कर दिया जाए जिससे जन्मभूमि फिर हिन्दूओं के सुपुर्द हो सके । अतः मुस्लिम समुदाया को कोई नुकसान हुआ ही नहीं था । जो कोई यह कहे कि वे आक्रान्ताओं के पापों का जुर्माना भर रहे हैं ।

प्र.27. क्या राम जन्मभूमि आंदोलन ने देश के साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया है ?

साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए राममंदिर आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ी । 1857 में हिन्दू मुस्लिम एकता से जो लोहे के चने अंग्रेजों का चबाने पड़े उसके बाद से अंग्रेज शासकों ने अपनी नीतियां ही ऐसी बना डाली कि इन दोनों वर्गों में मनमुटाव का सिलसिला समाप्त न होने पाए । एक वर्ग के साथा सतत सदभावना रखना और दूसरे की सदा उपेक्षा करने मात्र से दोनों वर्गों में अंतहीन वैमनस्य का सतत व्याप्त रहना अनिवार्य है । यही खेल सैक्यूलरिज्म के नाम पर कांग्रेस खेलती रही ।

अतः साम्प्रदायिक दंगे तो सन 1930 के बाद से योजनाबद्ध तरीके से कराए जाते रहे । कोई मां एक बच्चे पर तो अपना पूरा दुलार लुटाती रहे । और दूसरे के प्रति उदासीन रहे तो दो सगे भाइयों में भी भयंकर वैमनस्य अपने आप जड़ें पकड़ सकता है ।

जहां तक रामजन्मभूमि के आंदोलन का प्रश्न है तो 1949 में रामलला प्रकट होने के बाद भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ । मंदिर का ताल खुला तब भी शांति बनी रही यहां तक कि आडवानी की रथयात्रा के पूरे मार्ग में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ अपितु कई स्थानों पर मुसलमानों के समूह के समूह उमड़कर आए । और उन्होंने आडवानी का जगह जगह स्वागत किया । गाबेल्स के सिद्धान्त के अनुसार कई स्थानों पर पढ़ने को मिला कि आडवानी की रथ यात्रा

साम्प्रदायिक दंगों की श्रृखला छोड़ती चली गयी । पर जब उन्हें चुनौती देकर यह पूछा गया कि एक भी दंगों की पूरी सूचना प्रस्तुत कर दें तो निरुत्तर हुए हैं ।

ढांचा गिरने पर बहुत भयंकर साम्प्रदायिकत दंगे भड़के थे । कश्मीर में तो दर्जनों मंदिर ही तोड़े गए थे ।पर उनका कारण नरसिंहराव का वह भंयकर झूठ था जो उसने उस ढांचे को बाबरी मस्जिद कहकर सम्बोधित किया था ।

उससे पहले अक्टूबर नवम्बर 1989 की कार सेवा में 5 लाख कार सेवक पहुंचे थे पर कही कोई दंगा नहीं हुआ । जुलाई 1992 की कार सेवा में ढाई से तीन लाख कारसेवक एकत्रित हुए थे तो भी कोई दंगा कहीं नहीं हुआ ।

ये शांति इस बात के बावजूद बनी रही कि अपने निहित स्वार्थ के पोषणमें कुछ मुस्लिम नताओं ने भड़कीले भाषण देकर अपने को अखिल भारतीय स्तर का मुस्लिम नेता बना लिया ।

रामजन्मभूमि आंदोलन समूचे राष्ट्र की भावनाओं से जुड़ा प्रश्न है । – इसके सन्दर्भ में साम्प्रदायिक सदभाव को दूषित करने में आंदोलन का किंचित भी हित नहीं होने वाला ।

साम्प्रदायिक वातावरण राजनैतिक दल अपने अपने संकुचित स्वार्थ के लिए ही दूषित करते हैं । राममंदिर आंदोलन स्वयं के कारण यह कभी दूषित नहीं हो सकता बशर्ते राजनैतिक इससे दूर बने रहें ।

वस्तुतः इस आंदोलन के कारण विधाता ने ऐसी सम्भावनांए पैदा कर दी हैं कि यदि मुस्लिम समुदाय अपना और देश का हित सच्चाई से देखकर अपेक्षित कदम उठा ले तो देश में अभूतपूर्व साम्प्रदायिक सदभाव चिरकाल तक के लिए बना रह सकता है ।

प्र.28 जो लोग मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहें हैं उन्हें बाबर की औलाद कहकर क्यों पुकारा जाता है ?

सारा प्रश्न बाबरी ढांचे के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है ।

जो स्थान की वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं वे राममंदिर का विरोध इसीलिए करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की इबादतगाह थी । कुछ

उस ढांचे को धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बनाना चाहते हैं । उस स्थान पर राममंदिर निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की धारण रखने वाले एक तरह से हिन्दूओं से यह आग्रह करते माने जाएगें कि बाबर द्वारा हिन्दूओं का जो अपमान चिह्न बनाया गया हे उसे हिन्दू आदर और सम्मान के साथ देखें ।

जब यह सिद्ध हो चुका है कि बाबरी ढांचा मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर निर्मित किया गया है तो भी जो लोग राममंदिर का विरोध करते वे दूसरे शब्दों में बाबरी ढांचे के माध्यम से बाबर की स्मृति से जुड़ना चाहते हैं । हिन्दू अपने को श्रीराम की अद्वितीय संस्कृति और उनके द्वारा प्रतिपादित मौलिक मानवीय मूल्यों की अद्भुत पूजीं के उत्तराधिकारी मानते हैं और अपने आपको राम की संतान अनुभव करके अत्यंत गौरवान्वित होते है। उसी तर्क से जो लोग अपने को बाबर की संस्कृति और बाबर के जीवन मूल्यों का उत्तराधिकारी मानते हैं वे भी अपने को बाबर की संतान कहने में उसी प्रकार गौरवान्वित महसूस करते हैं जिस प्रकार हिन्दू । इसीलिए जो उनकों गौरवान्वित करे उस ऐसे सम्बोधन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । हिन्दी में बाबर की संतान को उर्दू में ''बाबर की औलाद'' कहा जाएगा । इसमें उन्हें कोई आपत्ति होना किंचित तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता ।

प्र.29. क्या रामंमदिर के निर्माण का काम करने वाले शासन के विरोध में अपने को खड़ा हुआ नहीं पाएगें ?

राममंदिर के निर्माण के सम्पूर्ण औचित्य पर सबसे पहले मत बनाना होगा । राममंदिर के निर्माण का औचित्य हर प्रकार के अकाट्य साक्ष्य के आधार पर ही बना है । वह सारे साक्ष्य सारे देश के आगे प्रस्तुत किए जा चुके हैं । तथा शासन के समक्ष तो पहले से ही पूरी तरह प्रस्तुत किए जा चुके हैं । हिन्दूओं की ओर से इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान में कोई कसर उठाकर नहीं रखी गयी है । लखनऊ हाई कोट्र 52 वर्ष से वाद को लम्बित रखे । इसके लिए भी हिन्दू समाज दोषी नहीं है ।

अतः जब शांतिप्रिय साधनों से हरसंभव प्रयास किया जा चुका है और राममंदिर का निर्माण करना राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव के लिए किया जाना

सर्वथा न्यायोचित है तो हर शासन को इसके रास्तें में अपने वाले कंटकों को चुनकर मार्ग प्रशस्त करना स्वयं में राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाएगा । न्याय के मार्ग पर चलने वालों का किसी भी शासन के विरोध में खड़े हो जाने की सम्भावना नगण्य है । हमारा तो राष्ट्रीय चिह्न ही घोषणा कर रहा है " सत्यमेव जयते " ।

फिर भी यदि कोई शासन न्याय को अनेदखा कर उसके मार्ग में अवरोधक बनेगा तो फिर न्याय उसे जड़मूल से नष्ट भी कर देगा । रामंमदिर आंदोलन को कोई क्षति पहुंचे ऐसी सम्भावनाएं भी नगण्य ही हैं ।

मुगल और ब्रिटिश काल में हिन्दूओं ने पहले ही बहुत अपमानित जीवन जिया है । स्वाधीन भारत में अपमान को सहन करने की हिन्दू से आशा करना सर्वथा अनुचित है ।

प्र30. रामजन्मभूमि मंदिर का पुनर्निमाण होने पर इस्लामी तेल उत्पादक देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी ?

इस्लामी तेल उत्पादक देशों में निहित स्वार्थ वाले नेता नहीं हैं और न ही वहां वोट बैंक की राजनीति चलती है । उन्हें न्याय की पहचान है अतः जो कुछ सत्य और न्याय के अनुरूप हो उससे वहां पर किसी भी विपरीत प्रतिक्रिया की सम्भावना नहीं रहेगी । समस्त विश्व के देशों को वास्तविक सत्य से सप्रमाण सवगत कराना एक बड़ा दायित्व है जिसे निभाने के लिए कदम उठाए जा रहे है ।

बाबरी ढांचा तो कोई मस्जिद भी नहीं थी तारीखए इस्लाम में तो न्याय दिलाने के लिए एक वास्तविक मस्जिद को भी गिराने के आदेश दिलाने के लिए एक वास्तविक मस्जिद को भी गिराने के आदेश दिए जाने का एक ज्वलंत उदाहरण है । दमिश्क में दो भाइयों में जो बड़ा था उससे दोनों भाइयों की मुश्तरका जमीन मस्जिद के लिए वक्फ कर दी और उस मस्जिद निर्मित होने के बाद प्रयोग में आने लगी । कई वर्षों बाद जब बड़े भाई मृत्यु हुई तो छोटे भाई ने खलीफा ओमर बिन अब्दुल अजीज के यहा दावा किया कि उसके भाई ने मुश्तरका जमीन बगैर छोटे भाई की अनुमति के वक्फ कर दी थी अतः अब उसे उसकी जमीन वापिस दिलाई जाए ।

उसकी बाते सहीं पाने पर सनू 100 हिजरी में खलीफा ने तत्काल मस्जिद को तोड़कर जमीन उस छोटे भाई को वापिस कर दी ।

रामजन्मभूमि पर तो सन 1934 से कोई नमाज पढ़ी ही नहीं गयी । इतना हीं नहीं सन 1949 से वह रामलला मंदिर रहा जिसमें निरंतर पूजा अर्चना होती रहीं ।

इसके अतिरिक्त फिगाह ए हनफी, फिगाह ए हमबली , फिगाह ए शफई और फिगाह ए मलिकी चारों की रूह से जो बात बहुत साफ कही गयी थी वह यह है कि कोई मस्जिद ऐसे मुकाम पर नहीं बनाई जा सकती कि जिस जमीन पर जरा भी शक शुबहा हो । इसलिए जमीन पहले वक्फ की जाती है और उसके बाद वहां मस्जिद बनाई जाती है । किसी भी विवादित भूमि पर मस्जिद बनाना निषिद्ध है । चाहे वह विवाद मस्जिद बनने से पहले का हो या बनने के बाद पैदा हुआ हो । यथार्थ तो यह है कि विवादित जगह पर अता की गयी नमाज अल्लाह को कभी कबूल नहीं होती । अतः जो मस्जिदें, मंदिर तोड़ कर बनी हैं , उन पर होनेवाले विवादों का प्रभाव इन देशों पर नही पड़ेगा क्योंकि वे इस्लाम में दिए गए विधान के खिलाफ अपना मन नहीं बनाएंगें ।

विदेशों में यदि हम सत्या को प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत कर दें तो विपरीत प्रतिक्रिया की संभावना नहीं होगी ।

प्र. 31. क्या राममंदिर के बनने पर , कश्मीर के लोगों पर कैसा भी कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

एक बात जो साफ समझने की है वह यह है कि रामजन्मभूमि आंदोलन मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध कदापि नहीं है आंदोलन इस देश के स्वाभिमान का आंदोलन है । कश्मीर से तो इसका कैसा भी सम्बंध नहीं है । ढांचा गिरने पर वहां प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत से मंदिर तोड़े गए थे पर राममंदिर निर्माण के दौरान कोई विपरीत प्रतिक्रिया हो ऐसी सम्भावना नहीं दिखती ।

प्र. 32. हिन्दू संगठनों को अभद्रता से फन्डामैन्टलिस्ट कहा जाता है । राममंदिर निर्माण करके क्या फंडामैन्टलिज्म होने का आरोप सिद्ध नहीं हो जाएगा ?

सैक्यूलरिज्म की तरह फंडामैण्टलिज्म शब्द को स्थान स्थान पर प्रयोग करने का चलन सा हो चला है और जैसे सैक्यूलरिज्म की कोई परिभाषा आज तक नहीं सुनी गयी उसी तरह फंडामैण्टलिज्म की भी परिभाषा कहीं देखने को नहीं मिली । अतः पहले तो फंडामैण्टलिज्म शबद को परिभाषित करना होगा और तब पता चलेगा कि हिन्दू संगठन किस स्तर के फंडामैण्टलिज्म है –

फंडामैण्टलिस्ट उसे कहा जाएगा जो यह मानता हो कि–

1– उसका धर्म ही स्वर्ग प्राप्त करने का एक मात्र साधन हो । उस धर्म का निर्माण किसी एक प्रवर्तक या पैगम्बर द्वारा किया गया हो ।

2– उसका धर्म किसी एक धर्मग्रन्थ पर आधारित हो और उसमें निहित कुछ अटल सिद्धान्त होते हों जिनकी व्याख्या करने का अधिकार कुछ चुने हुए धर्माधिकारियों का ही हो सकता है और वे जो निर्णय कर दें उसपर कोई सवाल नहीं हो सकता है और न ही उसे कोई चुनौती दे सकता है ।धर्मग्रन्थ में जो उसके निर्माण के समय लिखा गया उसमें कभी कोई कैसे भी परिवर्तन का विचार तक समभव नहीं है ।

3– अगर कोई उसके धर्म ग्रंथ का , धर्म ग्रंथ की विषय वस्तुका पूजा या इबादत के स्थान का या उसके पैगम्बर या इसके किसी सगे सम्बंधी का किंचित भी अपमान कर दे तो यह उसके सम्पूर्ण मजहब पर प्रहार माना जाएगा और सारे मजहबी एकजुट होकर उस अपमान का तत्काल बदला लेंगे ।

4– उसके मजहब की रूह से उसके लिए लाजिम है कि हर अन्य मजहब को हीन मानकर उसे हिकारत की नजर से देखे और हर मौके पर उस दूसरे मजहब को नीचा दिखाए, खासतौर पर तब जब वह दूसरे मजहब का धर्माण्तरण करता हो ।

5– यह कि उसे अपने मजहब की रूह से दैवी अधिकार प्राप्त है कि वह हर अन्य धर्मावलम्बी का धर्माण्तरण करे और अपने धर्म का अनुयायी बनाए ।

6– यह कि वह जितने अधिक धर्माण्तरण करके अपने साथ जोड़ेगा वह अपने मजहब की निगाह में गौरव प्राप्त करेगा चाहे वे धर्माण्तरण लालच देकर, धोखा देकर अथवा भयभीत करके या हिंसा का सहारा लेकर किया जाएं ।

7- यह कि उसे अपने मजहब की रूह से दैवी अधिकार प्राप्त है कि वह हर मजहब के धर्म ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट कर दे ।

8- यह कि उसे अपने मजहब की रूह से दैवी अधिकार प्राप्त हैं कि वह हर अन्य मजहब के पूजा स्थल का विध्वंस करे । ऐसा करने पर उसे अपने मालिक (ईश्वर) का दुलारा बनेगा और स्वयं अपने मजहबियों के बीच उसकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ेगी ।

फंडामैण्टलिज्म की परिभाषा देखकर स्पष्ट हो जाता है कि कोई हिन्दू फंडामैण्टलिज्म बन ही नहीं सकता । इसके बावजूद गोबेल्स के सिद्धान्त के माध्यम से आर. एस. एस. विहिप या बजरंगदल को बार बार फंडामैण्टलिज्ट कहकर इस बात का सतत प्रयत्न चलता रहता है कि मुसलमान और ईसाइयों की तरह हिन्दू के ऊपर भी फंडामैण्टलिज्ट होने की छाप लग जाए । अपने आत्म सम्मान को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए बमों या ए के 47 से नहीं, अपितु अपने जीवन की आहुति देने वाले हिन्दूओं के संघर्ष को फंडामैण्टलिज्म कहा जाता है । हिन्दू यदि और अधिक अपमान सहने को तैयार नहीं है तो उसे फंडामैण्टलिज्ट कहा जाता है ।

जैसा पूर्व में कहा गया है कि, आलिम से आलिम उलैमा भी जिस स्थान पर 42 वर्षो से रामलला की पूजाहोती चली आयी हो उसे मस्जिद नहीं कह सकते । फिर पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण को फंडामैण्टलिज्म कैसे कहा गया ? श्री कानराड एल्स्ट भी अपनी पुस्तक रामजन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद के पृ 129 पर यह लिखने को मजबूर हो गए " ..... कोई भी मजहब अपने श्रृद्धा के स्थान के लिए सम्मान तो चाहेगा ही । उस सम्मान की मांग करने में कैसा भी छोटापन नहीं है ।....."

12 दिसम्बर 1989 के संडे मेल में जाने माने विख्यात पत्रकार गिरी लाल जैन ने शिलान्यास के बाद लिखा था -

" ..... 40 के दशक की तरह, आज फिर पहल मुसलमानों के हाथ में ही है तब वे अड़े थे और विभाजन का निर्णय उन्हीं ने लिया था । एक बार फिर मूल रूप से निर्णय मुसलमानों को ही करना है कि भविष्य का

भारत हिन्दू मुस्लिम एकता का दृश्य प्रस्तुत करेगा अथवा एक बुरी तरह बंटे हुए समाज का रूप लेगा जहां छोटी सी उत्तेजना भी एक दूसरे का गला काटने के लिएपर्याप्त होगी मूल रूप से मुद्दा बहुतसाफ है ।

(अ) क्या रामंमंदिर (प्रस्तावित) हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेगा या कि वैमनस्य का, और

(ब (हिन्दू अपना स्वाभिमान मुसलमानों से दुश्मनी करके ही प्राप्त कर पांएगे या बिना दुश्मनी के । ''

आज मुसलमानों को निर्णय लेना है कि वे क्रमशः (अ) और (ब) में कौन सा विकल्प चुनेंगे । उन्हें यह भी स्मरण रखना है कि राममंदिर की मांग के लिए तकरीबन 10 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किए थे ।

प्र.33. बाबरी ढांचे को ध्वस्त करके क्या हिन्दूओं ने सहिष्णुता के अपने मौलिक गुण को नकार नहीं दिया ?

जब यह सिद्ध किया जा चुका है कि बाबरी ढांचा श्रीराम मंदिर को तोड़कर अत्यंत अपमानजनक मुद्रा में उसके ऊपर आरूढ़ किया गया था तो स्वतंत्र भारत में उसे हटाकर मंदिर को मुक्त न कराने का अर्थ तो यह स्वीकार करना होगा कि क्रूर बाबर ने जो कृत्य करके हिन्दूओं को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा वह सही था । उस अत्यंत अपमानसूचक स्थिति को समाप्त करने के लिए 1528 से लेकर 1947 उन्होंनें, जिन्हें हिन्दू ही कहा जाता था,गुलाम होते हुए भी 77 बार उस स्थिति को उलटने का प्रयास जारी रखा तो स्वाधीनता के पश्चात सहिष्णुता के नाम पर यथास्थिति बनाए रखना अपना ही नहीं अपितु उन हजारों शहीदों का भी अपमान है जिन्होंने श्रीरामजन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की बलि तक चढ़ाई थी । उन शहीदों ने दिखाया था कि आंखों के सामने प्रतिक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपमान निरंतर होता चला आ रहा है उसे स्वाधीनता के उपरांत तत्काल समाप्त कर देना वास्तव में प्रथम कर्तव्य था ।

सहिष्णुता के नाम पर कायरता की सलाह देने का कुचक्र तत्काल समाप्त होना चाहिए ।

हजारों तोंड़े गए मंदिरों में से मात्र तीन मंदिरों को हिन्दूओं ने अपने दावे में समेट लिया- यह हिन्दूओं की असाधारण उदारता और सहिष्णुता का प्रतीक है । यह महत्वपूर्ण है कि घोरतम अपमान ओर 1969 में विश्वविख्यात बीसवीं सदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार आरनाल्ड तौयबनी भारत आए थे और उन्होंने आजाद मेमोरियल सर लेक्चर के तहत दिल्ली में भाषण दिया था (" बन वर्ल्ड एण्ड इंडिया नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ 59 से 61 देखें) । 1918 में पहले 1815 में रूस द्वारा वारसा में जो विशाल कैथेड्रल रूसियों की विजय का प्रतीक था उसे धराशाई कर दिया था बावजूद इसके कि पोल्स स्वयं ईसाई था । उनकी सोच थी कि वह कैथेड्रल रूसियों की विजय का प्रतीक था न कि कोई पूजा स्थल । तौयबनी ने पोल्स द्वारा अपने स्वाभिमान की र क्षा के लिया गया यह कदम सराहनीय माना था –

" ..... रूसियों ने पोल्स पर रूसी आधिपत्य का प्रतीक दिया था जिससे पोल्स के उस प्रत्यक्ष प्रदर्शन से ये न भूल पांए कि वे रूस के गुलाम हैं । "

उसको बनाने के पीछे रूसी नीयत धार्मिक नहीं थी

उसको बनाने के पीछे रूसी नीयत धार्मिक नहीं थी । जानबूझकर अपमानसूचक कैथेड्रल को बनाने के पीछे राजनैतिक नीयत थी । मैं भारत सरकार की उदारता की सराहना करता हूं कि उसने औरंगजेब द्वारा निर्मित मस्जिद को तोड़ नही गिराया । मेरी निगाह में विशेष रूप से वे दो मस्जिदें जो बनारस के घाटों के ऊपर बनी हैं और वह है जो मथुरा में कृष्ण टीले पर मुकुट की तरह सजी हुई हैं । इस तीन मस्जिदों के पीछे औरंगजेब की नीयत यही थी कि जो कैथेड्रल बनाने में रूसियों की थी । वे तीन मस्जिदें मानो घोषणा कर रहीं हों कि कि एक इस्लामी शासन हिन्दूओं के पवित्रों में पवित्रतम मंदिर पर शासन कर रहा हो ।

अपने हमवतनों (ब्रिटिश) स्थान स्थान पर स्थापित अपने प्रभुत्व की प्रती आनेकानेक विशालकाय मूर्तियां तथा अन्य स्मारकों की बात करते हुए तौयबनी ने कहा यदि मेरे वतन के लोगों की अब भी भारतीय शासन में कुछ चलती हों तो वे

अवश्य उस आंख में कांटे की तरह चुभने वाले उन स्मारकों को सबसे पहले सफाया करने का आग्रह करते । पर भारत सरकार इन पाशविक और पेशाचिक स्मारकों को उसी प्यार और नसाफत से संजोकर रखा हुआ है जैसे ताजमहल को । इस दृश्य को देखकर मेरे मन में भारत के लिए प्रंशसा, बिना एक तीखी टीस के नहीं बन पाती ।

तौयबनी की मीठी मार ने नेहरू को अंग्रेजों द्वारा दानवों के आकार की विशाल मूर्तियों और अन्य स्मारकों को तो सार्वजनिक स्थानों से उठवा लिया पर उनसें कही अधिक वीभत्स मुगलिया स्मारक पं नेहरू की आंखे नही देख पायीं । शायद वे मुगलों के इसी प्रकार के प्रतिनिधि का इंतजार करते रहे कि वो भी इसी तरह उनके लिए लानतें मलामतें दे और तब उनकों भी हटाया जाए ।

लोग हिन्दू सहिष्णुता की अक्सर याद दिलाना नहीं भूलते पर वहीं लेाग मुस्लिम असहिष्णुता की पराकाष्ठा को देखना भी नहीं चाहते । दृष्टांत के लिए सन 1984 में ईद की विशाल नमाज एकाएक हिंसा के एक बड़े गोले की तरह फट गयी और मिनटों में कई घरों में बम फटने शुरू हो गए और सैकड़ो घर फूंक दिए गए , सैकड़ों लोग हताहत हुए । इसका क्या कारण था कि नमाज के वक्त, जो नमाजिए दूर दूर तक सड़कों तक फैले हुए थे एक सूअर कही से नमाजियों के बीच आ गया बस फिर क्या था – एक तरफ से आवाज आयी कि " नमाज नापाक हो गयी " और फिर तो पलक झपकते ही खून की नदियां बह गयी । मार्च 2001 में एक बड़ा जुलूस जुम्में की नमाज के बाद मस्जिद से बनकर निकला और रास्तें में हिंसा करते हुए थाना चमनगंज के सामने मौ चौबेगोला में स्थित स्थित चार हिन्दू मंदिरों को तोड़ा और उनको आग लगा दी । इसमें मौके पर उसी भीड़ ने ए.डी.एम. की गोली मारकर हत्या भी कर दी । उस प्रकरण में कुल चार मासूम जानें गयी थीं । कारण थाकि उन्हें पता चला था कि दिल्ली में विहिप के एक प्रदर्शन में बजरंग दल के कुछ लड़कों ने कुरान की एक प्रति में आग लगा दी थी । कानपुर के मुसलमानों ने यह भी नहीं सोचा कि यदि यह बात सही होती तो दिल्ली के मुसलमानों ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की ? किसी मस्जिद में सूअर के मांस का टुकड़ा अथवा कुरान का एक अधजला पृष्ठ मिल जाए तो वो एक बड़े दंगे के लिए पर्याप्त कारण होता है

। हिन्दूओं का सुबह शाम सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है और दूसरे वर्ग की पराकाष्ठा की असहिष्णुता के प्रति कान फटने वाला मौन धारण कर लिया जाए ऐसा व्यवहार तर्क के कितना प्रतिकूल है यह बताने की आवश्यकता नहीं । स्वतंत्रता के प्रारम्भ से ही जिन्हें वी. आई. पी. की तरह बरता गया हो- एक विशेष दर्जे के नागरिक का दर्जा दिया जाता हो उन मुस्लिमों के नेता जब अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बात कहते हैं कि वे भारत में सैकिन्ड क्लास जीवन जी रहे हैं तो देश के हिन्दूओं के हृद्य पर आघात पहुंचता है । हां यह सच है कि इस प्रकार के मिथ्या प्रचार के आधार पर वे दस करोड़ पेट्रो डालर की जगह 10 अरब पैट्रो डालर अवश्य बटोर रहे हैं परतुं इससे उनके अपने वतन भारत की छवि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बिगड़ती तो है ही । साथ ही हिन्दूओं और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ता ही चला जाता है । ताली एक हाथ से नहीं बजती ।

प्र.34 - यदि श्रीरामजन्मभूमि का पुनर्निमाण हुआ तो मुस्लिम बाहुल्य देशों में हिन्दूओं की क्या स्थिति होगी ?

हिन्दूओं की स्थिति यथावत ही रहेगी । हिन्दू जिस देश में भी रहते हैं वे उस देश की सांस्कृतिक व आर्थिक गतिविधियों में योगदान में अग्रणी रहते हैं । अपने इस योगदान के कारण समस्त विश्व में वे आदरणीय बने हुए हैं । सुदूर अयोध्या में जो कुछ होता है, उससे कोई भी देश हिन्दूओं को क्षति पहुंचाकर अपनी ही सामाजिक एंव आर्थिक क्षति नहीं करेगा । अयोध्या में अब तो केवल भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण होना ही बाकी है । जब ढांचा ध्वस्त हुआ था तब भी भारतवासियों के प्रति कोई विपरीत प्रतिक्रिया कहीं नही हुई थी बावजूद नरसिंहराव के झूठ के जिसमें ढांचे को मस्जिद कहा गया था । तथापि इस झूठ के कारण बंगलादेश व कश्मीर में मंदिरों का तो ध्वंस किया गया था किन्तू वहां भी हिन्दूओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था । श्रीराममंदिर के पुनर्निमाण से हिन्दूओं पर किसी प्रकार का भय तर्कहीन है ।

प्र. 35 . क्या श्रीरामजन्मभूमि के पुनर्निमाण से भारत का ईसाई समुदाय स्वयं को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा ?

कोई प्रश्न ही नहीं उठता । ढांचे के ध्वस्त होने के दिन भी जब ईसाइ समुदाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गयी तो अब तो केवल मंदिरके पुनर्निमाण की ही बात है अतः उसमें उन्हें कोई अंदेशा होने का सवाल ही नहीं उठता । हिन्दूओं की मांग केवल 3 मंदिर अयोध्या, मथुरा व काशी तक ही सीमित है । यूं तो हजारों ऐसी मस्जिदें और चर्च हैं जो पिछले 4-5 सौ सालों में मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर बनाए गए हैं । पर आज विहिप तो केवल तीन ही मंदिरों की बात कर रही है । अतः इस संदर्भ में मुसलमान व ईसाई समुदाय का भयभीत होना तर्कसंगत नहीं है, तीन मंदिरों को छोड़कर किसी भी अन्य मंदिर को प्राप्त करना हिन्दू कार्यसूची में है ही नहीं ।

प्र 36. कहा जाता है कि इस्लमा मंदिर विध्वंस की अनुमति नहीं देता है । कृपया अपनी टिप्पणी दें ।

पता नहीं आप किस इस्लाम की बात कर रहें हैं । यह विश्वविदित है कि गत सहस्राब्दि में जिस इस्लाम का प्रवेश भारत में हुआ वह भयंकर रूप से इस कथन के विपरीत है । बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नही केवल 3 माह पहले मार्च 2001 में कानपुर नगर में जुम्मे की नमाज के बाद मंदिर से जुलूस निकला और हिंसा करता गया फिर चमनगंज थाने के ठीक सामने चौबेगोला मुहल्ले में स्थित हिन्दूओं के 4 मंदिर तोड़े गए और आगजनी की गयी । जो भी ऐसा कहते हैं कि इस्लाम मंदिर विध्वंस की अनुमति नही देता- उन्होंने शायद कुरान या मुस्लिम इतिहासकारों के लेख नहीं पढ़े हैं । मुसलमान बादशाह तथा उनके कातिबों द्वारा अपने लेखों में उन्होंने दम्भ भरते हुए लिखा है कि प्रत्येक मुस्लिम राजाओं ने हजारों हजार मंदिरों का विध्वंस किया है । स्वयं मोहम्मद ने मात्र एक विख्यात काले पत्थर को छोड़कर सभी मूर्तियों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक इस्लामिक आक्रमणकारी व लुटेरों ने उसी उदाहरण का अनुसरण किया । अपनी रुग्ण मानसिकता के वशीभूत होकर उसने 30000 हिन्दू पुरुष महिलाएं एवं बच्चों की हत्या कर दी । जब उसने अपनी शानदार उपलब्धि का संदेश मक्का स्थित अपने राजा को भेजा, तो राजा ने उसे सूरा 47: 4 का स्मरण दिलाया तथा बचे लोगों की

हत्या का आदेश दिया । यहां वह " संवेदनशील इस्लाम " है ,जिसे भारत ने बाद के सहस्रों वर्षों में झेला है । इस बिंदु को पुनः स्पष्ट करते हुए अंसख्य उदाहरणों मे से सूरा की निम्नलिखित आयतें उद्धृत हैं ।

अल्लाह के सर्वोच्च धर्म की स्थापना एवं मूर्ति पूजा की पूर्ण समाप्ति तक उनके विरुद्ध युद्ध करो ।

– सूरा 2 आयत 193

अल्लाह के धर्म के सर्व शासी होने तक तथा मूर्ति पूजा के अस्तित्वहीन होने तक उन पर युद्ध जारी रखो ।

– सूरा 8 आयत 39

मुस्लिम विधि शास्त्री (ज्यूरिख) शेख उल इस्लाम ने इल्तुमिश के राज्यकाल में एक धर्म सिद्धान्त " दीन पनाही
" के नाम प्रतिपादित किया था । उसके अनुसार

" ..... कोई भी राजा जब तक अल्लाह एवं पैगम्बर के पंथ की सेवा में कुफ्र और काफिरी को जड़ से समाप्त नहीं कर करता, वह अपने स्वयं के पंथ की रक्षा या उसके दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकता । फिर भी, यदि काफिरों की विशाल संख्या तथा कुफ्र की जड़ें मजबूत होने के कारण मूर्ति पूजा का जड़ मूल नही उखाड़ पाता तो उसे लाजिम है कि अल्लाह और पैगम्बर के घोरतम शत्रु हिन्दूओं को अपमानित, लांछित, लज्जित, बदनाम और बेआबरू तो निरतंर करते ही रहना चाहिए " क्योंकि हिन्दू अल्लाह और नबी के सबसे प्रचण्ड शत्रु हैं । "

इस सिद्धान्त पर सैकड़ों साल से आज तक बहुत चुस्ती से अमल होता आया है पर हैरत की बात यह है कि पूरे संसार के इतिहास में ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता कि जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि हिन्दूओं ने " अल्लाह " या उसके नबी को कोई नुकसान तो दूर उनके प्रति कोई अपशब्द भी कहा हो । पर उनके यहां कोई प्रमाण तलाशने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जब शेख उल इस्लाम

ने फतवा दे दिया कि हिन्दू अल्लाह और नबी का घोरतम शत्रु है , तो सारे मुसलमानों को उस परम सत्य को स्वीकार कर लेना ही होगा ।

कुरान में 100 ऐसी आयते हैं जो प्रत्येक मुसलमान को मूर्ति पूजकों एवं मूर्ति पूजा को नष्ट करने का आदेश देती हैं । इस अभियान में इस्लाम का आंलिगन करने वालों को छोड़कर किसी को भी क्षमा दान नहीं है ।

इब्न ईशाक के अभिलेखानुसार मक्का में पैगम्बर को " एक काष्ठ का फाख्ता मिला, उन्होंने उसे अपने हाथों से तोड़कर फेंक दिया " पुनः वे उन मूर्तियों की ओर मुड़े जो मंदिर के आस पास स्थित थीं । उनकी संख्या 360 थी । पैगम्बर हाथ में छड़ी लिए उन मूर्तियों के समीप खड़े थे और कह रहे थे - " सत्य (मोहम्मद) के आगमन से असत्य की मृत्यु हुई " (सूरा 37:22-23) । वस्तुतः असत्य की मृत्यु तो होनी ही थी (सूरा 17:82) पुनः मोहम्मद ने अपनी एक छड़ी को उन मूर्तियों की ओर इंगित किया तथा वे सारी मूर्तियां एक एक करके अपनी पीठ के बल गिरा दी गयीं । उस विजय दिवस पर जब मोहम्मद ने दोपहर की नमाज अदा की तो उन्होंने आदेश दिया- काबा के आसपास की समस्त मूर्तियों को एकत्रित किया जाए तथा उनमें आग लगा दी जाएं ।

अन्य मुस्लिम लेखकों द्वारा संयोजित अभिलेखों से उद्धृत उदाहरण निम्नलिखित हैं ।

- मोहम्मद गजनवी काल के मुसलमान इतिहासकार ने लिखा है " बनारस में जो कि हिन्दू देश का केन्द्र है, उन्होंने 1000 मंदिरों का ध्वसं किया तथा उनकी नींवों पर मस्जिदें उठाईं ।

- यहां अल वारुणी (मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में लाए गए विद्वान) के उसके ही शब्दों को उद्धृत करना उपयुक्त होगा जो उन्होंने मथुरा के कृष्ण मंदिर की लूट का वर्णन करते हुए लिखा । - " महमूद ने देश (भारत) की समृद्धि को पूर्णतः नष्ट कर दिया तथा अपने भयंकर शोषण से हिन्दूओं को धूल कण में परिवर्तित कर सभी दिशाओ में बखेर दिया ।

– और अब सुल्तान महमूद के आदेश से पवित्र मथुरा नगर के विध्वंस का वर्णन वी. ए. स्मिथ (पृष्ठ 207, 1985) की कलम से प्रस्तुत है– ‘‘नगर के मध्य में अन्य मंदिरों की तुलना में एक विशाल एवं भव्य मंदिर था । इस मंदिर का न तो वर्णन किया जा सकता है और न ही चित्रण । सुल्तान के मत से इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 20 वर्ष लगे होंगे । मंदिर के अंतःपुर में पांच पांच गज की लाल स्वर्ण की पांच विशाल मूर्तियां थी जिनकी आंखे अमूल्य रत्नों की थीं । सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को नेफथा एंव अग्नि से जलाकर समतल कर दिया जाए । वे विनष्ट कलाकृतियां प्राचीन भारत के भव्य स्मारकों में से रही होंगी ।

– सिरात ई फर्ज शाह के अभिलेखानुसार ‘‘ फिरूज तुगलक नेसन 1360 ई में उड़ीसा पर आक्रमण किया तथा वहां के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया ।

– ‘‘ साफिहा ए चहल ’’ नसईया बहादुर शाही जो बहादुर शाह आलमगीर की बेटी द्वारा सत्रहवीं शताब्दी के अंत और और अट्ठारवीं शताब्दी के शुरू में लिखी गयी थी वर्णन है– ‘‘ मथुरा, बनारस तथा अवध आदि में हिन्दूओं के परम पूजनीय स्थल, कन्हैया का जन्म स्थान, सीता की रसोई का स्थान, हनुमान का स्थान जो हिन्दूओं के कथनानुसार रामचंन्द्र के बराबर में लंका विजय के बाद बैठा था सारे के सारे इस्लाम को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए मिट्टी में जलाकर उन्हीं के स्थान पर मस्जिदों को बनवाया ।

– ‘‘ हदिका ए शहादा ’’ (1856) में मिर्जा जान लिखते हैं –

‘‘ ..... पूर्व में आने वाले सुल्तानों के विस्तार को खूब प्रोत्साहित किया हिन्दू काफिरों की फौजों को कुचलकर रौंद डाला । उसी तरह फैजाबाद और अवध से भी कुफ्र की कमीन प्रणाली का पूरी तरह सफाया कर दिया । अवध में पूजा अर्चना व्यापक स्तर की थी । वो राम के पिता के राज्य की राजधानी थी । ..... जन्म स्थान का मंदिर राम के जन्म का मूल स्थान था वह सीता की रसोई के बगल में था ..... अतः उसी जगह पर एक विशाल मस्जिद बादशाह बाबर ने मूसा अशीकन के देख रेख में बनवाई ।

– उर्दू उपन्यासकार मिर्जा रजब अली बेग सुरूर (1767– 1867) ने फसाना ए इबरत में लिखा – " बादशाह बाबर के शासन काल में अवध में एक मस्जिद उस स्थान पर बनवाई जिसका संबंध सीता की रसोई से था । इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा ।

– तारीख ए अवध में शेख मोहम्मद अजमत अली काकोरवी नामी लिखते हैं " अवध राम और लक्ष्मण के पिता की राजधानी थी ।वहां मूसा अशीकन की देख रेख में एक बेहतरीन बाबरी मस्जिद जन्मस्थान पर बने मंदिर की भूमि पर बनाई .... "

– एक अन्य तारीख ए अवध जो अल्लमा मुहम्मद नजामुलगानी खान रामपुरी ने लिखा । उसमें लिखा है – " ..... बाबर ने एक भव्य मस्जिद उसी जगह पर बनवाई कि जिस बिंदु पर रामचन्द्र के जन्म स्थान का मंदिर अयोध्या में बना हुआ था । "

– 1977 में मौलाना अब्दुल हसन नदवी ऊ अली मियां ने अपने पिता हकीम सईद अब्दुल हई (सन 1923) द्वारा हिन्दूस्थान इस्लामी अहद के अंग्रेजी अनुवाद को 1977 में प्रकाशित किया था । उस पुस्तक में एक अध्याय है " हिन्दूस्तान की मस्जिदें " इसमें स्पष्ट 6 मस्जिदों के बारे में बताया गया है जो (बारहवीं और सत्रहवीं सदी के बीच) हिन्दू मंदिरों ध्वस्त करके उसी बिंदु पर बनवाई गयी थी । उसी में बाबरी ढांचे के बारे में लिखा है – " यह मस्जिद बाबर ने अयोध्या में वहां वनवाई थी जिसे हिन्दू रामचंन्द्र जी का जन्म स्थान कहते हैं ।

– सन 1391 में तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद ने मुजफफर खान को जो कि 1393 में सुल्तान के मृत्युपरान्त राज मुजफफरशाह हुआ – हिन्दूओं के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ को विध्वंस करने के अभियान पर भेजा । महमूद गजनवी की लूट के पश्चात हिन्दूओं ने इस मंदिर का पुनर्निमाण किया था । मुजफफर खान ने इस पुर्नस्थापित मंदिर को ध्वस्त किया तथा उसकी नींव पर मस्जिद को उठाया ।

– सन 1472 में महमूद वेघारा ने द्वारका पर आक्रमण किया तथा कृष्ण मंदिर का विध्वंस किया ।

– सन 1436 – 69 के बीच महमूद खिलजी ने हिन्दू मंदिरों का विध्वंस किया तथा उन्ही स्थानों पर मस्जिदें बनाने का आहलादित हुआ ।
– इलियास शाह (सन 1339–79 ई) ने समस्त दक्षिण भारत के मंदिरों का विध्वंस किया ।
– सन् 1528 ई. में बाबर ने अयोध्या राममंदिर सहित अनेक मंदिरों का विध्वंस किया ।
ये फहरिस्त तो अंतहीन है, ये सूचियां आज की नहीं हैं, इन्हें मुस्लिम राजाओं की आत्मकथाओं तथा उनके समकालीन इतिहासकारों के लेखों से एकत्र किया गया है ।1

आज भी समस्त भारत में अवस्थित उन विंध्वसं मंदिरों के अवशेष इस्लाम अनुयायियों के कार्य कलापों के भयंकर साक्षी हैं । विध्वंस मंदिरों की नींव पर शताब्दियों से उठाई गयी मस्जिदों के नमूने आज भी इस्लाम के स्वरूप का सही वर्णन करते हैं । प्रश्नकर्ता ने जिस इस्लाम का उल्लेख किया " जो मंदिरों को तोड़ने की इजाजत नही देता " वह इस्लाम भारत में तो आयातित नहीं दिखा ।

श्री विद्याधर नाईपौल ने खुलासा किया – " अपनी भारत विजय पर मुसलमान स्वयं कही अधिक सच्चाई से बोलते हैं । इस्लाम की दिग्विजय की बात करते हुए वे शान से मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े करना, मंदिरों को धूल चटाना, लूट मचाना और स्थानीय लोगों को बंधक बनाकर उन्हें गुलाम बनाने की बातें बहुत खुले रूप से कहते हैं । इस्लाम के उपरोक्त पाश्कविक भयंकर स्वरुप के बावजूद यदि जिम्मेदार मुस्लिम नेता फिर भी यह कहते है कि उपरोक्त स्वरुप वास्तविक इस्लाम सचमुच मे मन्दिरो को तोडने की इजाजत नही देता तो साफ हो जाता है कि ये सारे हजारो मन्दिर इस्लाम की अवहेलना करते हुए तोडे गये है। फिर तो उन मुस्लिम नेताओ के लिए ऐसी सारी मस्जिदो को जो मन्दिर तोडकर इस्लाम की इजाजत के खिलाफ बनाई गई है तत्काल सफाया कर दे पर यदि वे उन हजारो मस्जिदो का सफाया न भी करे तो भी कम से कम उन्हे अयोध्या काशी और मथुरा के तीन मन्दिरो पर से अपना दावा हटाने मे कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। ऐसा करने पर

यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि वास्तव मे इस्लाम मन्दिरो को तोडने कि इजाजत नही देता। पर यदि वे ऐसा नही करते तो मानना पडेगा कि इस्लाम के खाने के दांत और दिखाने के और।

प्र037 क्या श्रीरामजन्मभूमि एवं सोमनाथ मे तुलना की जा सकती है?

दोनो ही मन्दिर हिन्दूओ के पवित्रतम परम पूजनीय मन्दिर थे। दोनो को तोडकर अत्यन्त अश्लील मुद्रा मे मस्जिदो को मन्दिरो पर आरुढ करके एक स्पष्ठ सन्देश दिया गया था कि जिस तरह मस्जिद के तले हिन्दूओ के पवित्र से पवित्रतम मंदिर कुचले पडे है उससे हिन्दूओ को समझ लेना चाहिए कि वे भी उसी तरह मुसलमानो के सदा के लिए दास हो गए है।

अगर ऐसा नही था तो भले ही इस्लाम के आदेशो के पालन मे मंदिरो को तोडना उनके लिए मजबूरी होगी पर मस्जिद तो अन्य कही खुली जमीन पर बनाई जा सकती थी। कुछ लोग दलील देते है कि दूसरी नीव बनने के खर्च की बहुत बडी बचत होती थी इसलिए उसी स्थान पर मस्जिद बनाई गई थी। पर फिर उनके पास तब कोई उत्तर नही रह जाता है जब पूछा जाता है कि हिन्दू देवी देवताओ के विग्रहो को तोडकर उन्हे मस्जिद की सीढ़ियो मे नमाजियो के पैरो तले रौदे के लिए क्यो पैबस्त किया जाता था?

प्र038 क्या विश्व के अन्य भागो मे विध्वंस स्थलो की पुनर्प्राप्ति की मांगे की गई है?

हां सोलहवी श्शताब्दि मे स्पेनवासियो ने जब 400 वर्ष की मुअर्स की दास्ता से स्पेन को मुक्त किया तो उन्होने न केवल अपने विध्वंस चर्चो की नीवं पर निर्मित मस्जिदो को ध्वस्त करके पुनः चर्च बनाए बल्कि स्पेन के सभी मुसलमानो का ईसाईयत मे पुनर्धर्मान्तरण करा दिया। 1915 मे पोलैण्डवासी जब 100 वर्ष के रुसी शासन से मुक्त हुए तो उन्होने वारसा स्क्वायर मे रुसियो द्वारा निर्मित ओरियन्टल आरथोडाक्स कैथिड्रल को तोड़ गिराया जबकि वे स्वंय भी ईसाई थे।

राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का पुनर्स्थापन न केवल जन्मसिद्ध अधिकार है बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का एक अनिवार्य कर्तव्य भी है।

प्र039 श्रीरामजन्मभूमि का पुनर्निर्माण भा0 ज0 पा0 के चुनावी सौभाग्य को किस प्रकार प्रभावित करेगा?

सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण बिना किसी राजनीतिक अकुलाहट के सम्पन्न हुआ था। अयोध्या मंदिर को भी उसी प्रकार होना चाहिए था। परन्तु दुर्भाग्यवश यह वोट बैक की राजनीति का शिकार बन गया। धर्म संसद जो रामजन्मभूमि मन्दिर की प्रवर्तक है के लिए यह अप्रासंगिक है कि भा0 ज0 पा0 या अन्य किसी दल पर उसके क्रियाकलापो का क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। उनके लिए तो यह एक धार्मिक दायित्व का निर्वाह है। एक विचित्र अवधारणा बनी दिखाती है कि वि. हि. प. धर्म संसद की कार्य सूची स्वयं निर्धारित करती है और विहिप मात्र उसका पालन करती है।

यथार्थ तो यह है कि स्वतंत्र भारत मे राममन्दिर के पुनर्निर्माण मे आने वाले अवरोधो को हटाना सभी राजनीतिक दलो की कार्य सूची मे अधिकृत रुप से होना चाहिए क्योकि श्रीराम सम्पूर्ण भारत की संस्कृति के मेरुदण्ड है। यही एक मार्ग है जिससे कि सभी का एक मत होने पर इस विषय को राजनैतिक स्पर्धा से अलग करके इसे राजनीतिक से पृथक किया जा सकता है।

प्र0 40 मथुरा मे कृष्णजन्मभूमि तथा वाराणसी मे काशी विश्वनाथ की तरह क्या आप बाबरी ढांचे के आस पास राममन्दिर का निर्माण नही कर सकते?

संभवतः आप यह मान रहे है कि काल प्रवाह के चलते अथवा धार्मिक स्थानो को 1947 की यथास्थिति मे जकडने से काशी और मथुरा की स्थिति को स्वीकारा जा चुका है। किन्तु तथ्य इससे बहुत ही दूर है। काशी एवं मथुरा की वर्तमान स्थिति तब उदय हुई थी जब हिन्दू दास बनाया जा

चुका था और वह स्थिति हिन्दूओ पर बलात् थोपी गई थी। स्वतंत्र भारत मे इस स्थिति को जारी रखना वस्तुतः समस्त हिन्दू समाज का स्थायी अपमान है। उचित समय पर राममन्दिर तो उसी स्थान पर बनेगा ही परन्तु सांप्रदायिक सद्भाव व्याप्त हो इसके लिए काशी और मथुरा को भी मुक्त करना ही होगा। पर अयोध्या का ढांचा जब रहा ही नही है तो अयोध्या की तुलना काशी मथुरा से करना अर्थहीन है।

प्र0 41 क्या रामजन्मभूमि आन्दोलन के अलावा आपको समाज मे अन्य समस्याएं नही दिखाती जिनका निदान किया जाए?

वि. हि. प. रा. स्व. से. सं. तथा उनसे जुडी अन्य संस्थाएं हिन्दू पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण समाज के उद्धार के प्रबल प्रवर्तक है। राममन्दिर आंदोलन तो वि. हि. प. की कार्य सूची का एक सौवां भाग भी नही है। इसका सारा भार तो धर्म संसद उठा रही है। 1976 के प्रयाग के कुम्भ मेले मे वि. हि. प. ने एक विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमे सभी धर्माचार्य महामण्डलेश्वर मठाधीश एवं शंकराचार्य तथा हिन्दूओ की सभी धार्मिक संस्थाओ के अध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। उस विराट सभा मे सर्वसम्मति से औपचारिक रुप से हिन्दू समाज मे व्याप्त अस्पृश्यता का बहिष्कार किया गया था। 1993 ई. मे वि. हि. प. ने इलालाबाद मे सात दिनो का एक अभूतपूर्व वेद सम्मेलन आयोजित किया। एक सप्ताह के उस सम्मेलन मे देश के कोने कोने से आए मूर्धन्य वेदाचार्यो ने सर्वसम्मति से वेद विद्या के दान मे जाति भेद को समाप्त कर दिया। उससे पहले वेद केवल ब्राहम्णो को ही पढाए जाते थे। इस निर्णय ने सभी जाति के लोगो को ग्राम पुजारी के दायित्व का अधिकारी बना दिया। अकेले तमिलनाऊ मे आज 4 लाख ग्राम पुजारी है जिनमे

बाहुल्य पिछडे वर्ग के है। कुछ माह पूर्व सत्तर हजार ग्राम पुजारियो की एक विशाल सभा चेन्ड्ई मे हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि के अतिरिक्त कांची के शंकराचार्य ने गौरव के क्षेत्र मे जो कुछ किया गया है वह इस विशाल देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए समुद्र मे कुछ बूंदो के ही बराबर है।

राममन्दिर के विरोधियो की वही गोबल्सियन चाल है जिसे चलकर वे समूचे देश मे यह अवधारणा बनाने मे लगे है कि विहिप या संघ परिवार की गतिविधियो का आदि और अन्त केवल राममन्दिर है।

राममन्दिर का प्रकरण तो सन् 1949 मे संतजनो द्वारा ही निबटाया जा रहा था पर जिस तरह हाई कोर्ट मे वर्ष दर वर्ष बिना कुछ प्रगति के बीतते जा रहे थे तो विश्व हिन्दू परिषद और सम्पूर्ण संघ परिवार ने उन्हे मदद करने का संकल्प किया था। यह प्रकरण अत्यन्त महत्व का है इसमे संशय नही पर यही सब कुछ है, यह केवल राममन्दिर के विरोधियो का शैतानीपूर्ण मिथ्या प्रचार है।

राममन्दिर आन्दोलन को नकारते हुए इसके विरोधी निरन्तर आरोप लगा लगाकर यह छवि बनाने मे लगे है मानो इस आन्दोलन के कारण सारे विकास कार्यक्रम ठप

पडे है। यथार्थ यह है कि जिस काल मे राममन्दिर प्रकरण राष्ट्रीय मंच के मध्यस्थ आ खडा हुआ था तब भी राष्ट्र की विकास की गति निरन्तर बढती ही जा रही थी। गोबेल्स के सिद्धान्त का प्रयोग हर संभव कदम पर विहिप और संघ परिवार की छवि बिगाडने के लिए विरोघी सतत्र प्रयत्न करते रहे है पर भारत मे सत्य ही प्रतिष्ठा पाता है इसलिए चुपचाप अपनी सारी सेवाएं अर्पित करने वाले तपस्वियो पर इसका कोई कुप्रभाव नही पड़ पाया।

प्र0 42 साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए रामजन्मभूमि पर मन्दिर के बजाए कुछ और नही बनाया जा सकता सकता जैसे एक पुस्तकालय?

इस पर तो स्वाभाविक प्रति प्रश्न स्वयं उठ पड़ता है कि रामजन्मभूमि पर राममन्दिर ही क्यो न बनाया जाए?

जब जवाहर लाल, जयप्रकाश नारायण ,महात्मा गांधी ,सरदार पटेल सरीखे मानवो की जन्म-स्थलियां राष्ट्रीय स्मारक बनाई जा रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जो संसार के करोड़ो लोगो के सदियो से कल्याण का कारण रहे है उनकी

जन्मभूमि पर उनकी महिमा के अनुकूल मंदिर बनने पर संकोच क्यो? साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए?

इस देश मे साम्प्रदायिक सौहार्द के नाम पर लाखो पाप होते आये है। सैकड़ो-हजारों मासूम जाने साम्प्रदायिक सौहार्द के नाम की वेदी पर शहीद हो चुकी है। हिन्दू ने अपनी मां के शरीर के खंड खंड तक करने की मंजूरी दे दी परन्तु साम्प्रदायिक सौहार्द है कि वह काली बदली के पीछे से अपना मुंह निकाल कर ही नही देता। इस संदर्भ मे मुस्लिम समुदाय को अपने स्वार्थी नेतृत्व के चंगुल से अपने को छुडाकर बहुत गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

यह प्रश्न तो ऐसे किया गया है मानो साम्प्रदायिक तनाव पहले होते ही नही थे और आज केवल राममन्दिर ही सारे साम्प्रदायिक तनावो का मूल कारण है। 1857 मे हिन्दू-मुस्लिम एकता के जो परिणाम अल्पकालिक ही सही सामने आए थे तब से बिटिश शासनकर्ताओ ने मुसलमानो को सगा बनाना शुरु किया और हिन्दू को हिकारत की निगाह से देखा गया। व्यवहार मे दुभात की जाये तो परस्पर वैमनस्य पैदा होना अनिवार्य है। साम्प्रदायिक वैमनस्य के बीज तो तभी से पडे है और काग्रेस

ने उसी नीति मे और खाद डालने का काम किया। बडे भयंकर भयंकर दंगो की कहानियो से देश का इतिहास भरा पड़ा है।

प्रश्न संख्या 23 के उत्तर मे साम्प्रदायिक सौहार्द ही नही अपितु यदि मुस्लिम समुदाय पहल करे तो अद्रभुत सामप्रदायिक प्यार और आत्मीयता का निर्माण हो सकता है।

फिर साम्प्रदायिक सौहाद की जिम्मेदारी केवल हिन्दू की ही क्यो हो? हिन्दू तो अपने देश के भी टुकड़े करवा चुके। संविधान मे अपने धार्मिक सकूलो को चलाने की पूरी छूट अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने की पूरी छूट जो हिन्दूओ को भी उपलब्ध नही है मुसलमानो को मिली। शासन की नीतियो मे पचासियो ऐसी बनी जैसे वो देश के वी0 आई0 पी0 हो और हिन्दू कुछ भी नही। उनके त्यौहारो की चार छुट्टियां बढी तो हिन्दूओ की काट दी गई। केन्द्रीय सुरक्षा बल जब भर्ती करे तो प्रतिवर्ष उनका बोर्ड हिन्दूस्तान के अट्ठारह मुस्लिम बाहुल्य शहरो मे विशेष रुप से उनकी भर्ती के लिए जाता है। ऐसी कोई सुविधा और किसी को तो दूर जनजातियो तक को नही दी गई। एक समय हिन्दूओ कि जबरन जबरन नसबंदी कराई गई पर उनसे स्वेच्छा से कराने

तक की अपेक्षा की गई। खाडी युद्व के समय सुरक्षित निकालकर लाए गए लोगो मे क्योकि बाहुल्य मुसलमानो का था तो प्रति व्यक्ति पर 35000रु. खर्च कर उन्हे कुवैत से सुरक्षित लाया जाता रहा। कश्मीरी पंडितो को पैतीस पैसे की भी मदद नही मिली। सरकारी इफ.तार पार्टी प्रधानमंत्री तक के यहां हो सकती है पर सरकारी होली मिलन साम्प्रदायिक हो जाएगा। शाह बानो प्रकरण मे संविधान तक बदला जा सकता है पर हिन्दू लां मे जब चाहे रदोबदल हो सकती है ऐसे-दृष्टांत तो अन्तहीन है। प्रश्न केवल इतना है कि साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए मुसलमानों द्वारा दिए गए योगदान का खाना इतना खाली क्यों रहा आया है।

आज उन्हे अवसर मिला है। हिन्दूओ के तीनो मन्दिरों से अपने दावों को हटाकर अपने योगदान के खाते मे भी कुछ पूंजी डाले तो देश का बहुत बडा कल्याण हो सकता है।

जहां तक हिन्दू का सम्बन्ध है तो डी0 सी0 सरकार के सिलेक्ट इन्स्क्रिपशनल खण्ड 2 का अवलोकन करने पर पता चलेगा कि हिन्दूओ द्वारा मस्जिदो के निर्माण करने की बडी पुरानी परम्परा रही है। मुस्लिम आक्रमण से भी 100 वर्ष

पहले हिन्दूओ ने यहां मस्जिद बनवाई थी। उपनिषदो के इस देश मे ही संभव हो सकता था कि अल्लाह के नाम पर अल्लोपनिषद रचा जाए। सदियो से हिन्दू साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए पहल करते आए है। कभी तो एक बार मुसलमान भी कुछ करके दिखाये।

प्र0 43. क्या बाबरी ढांचा विगत कुछ वर्षो मे नमाज पढने के काम आया है?

नही? पिछले 58 वर्षो अर्थात सन 1934 के बाद से इसमे नमाज पढ़ी ही नही गई। सन 1949 से हांलाकि इसमे निरन्तर पूजा होती आ रही है।

प्र0 44. रामजन्मभूमि मे भव्य राममन्दिर की ऐसी क्या आवश्यकता है? जो मन्दिर चल रहा है उसे ही क्यो न चलते रहने दिया जाए?

रामजन्मभूमि मन्दिर ईट गारें का प्रश्न नही है। यह राष्ट्र की अस्मिता राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रश्न है। भगवान राम के दिव्य स्वरुप के अनुकूल ही राममन्दिर बनने की बात हो सकती है।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था -

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था -

आपके पूर्वजो ने सारी यातनाएं साहस से झेली थी और कितने ही शहीद भी हुए परन्तु उन्होने अपने धर्म की रक्षा की। विदेशी आक्रान्ताओ द्वारा मन्दिर तोड़े जाते रहे परन्तु उनके शिखर फिर आसमान को चूमने लगते। दक्षिण के ऐसे कुछ मन्दिर तथा गुजरात को सोमनाथ तुम्हे अभूतपूर्व ज्ञान पहुंचाएगा। उनके दर्शनो से अपनी जाति के स्वरुप के जो दर्शन मिलेंगे वह ज्ञान सैकडों किताबें भी नही दे पाएंगी। देखते ही बनता है कि मन्दिरों पर सैकड़ों आक्रमण हुए और सैकडों पीढ़ीयां नष्ट हुई पर अपनी ही राख से फिर सब पुनर्जीवित हो और अधिक सशक्त बनकर खडे हुए। यही राष्ट्रीय संकल्प शक्ति है यही राष्ट्रीय जीवनधारा है। उसके पीछे चलो तो अभ्युदय को प्राप्त होगें। उसे त्यागना मृत्यु को गले लगाना होगा। जीवन धारा से कदम हटे और लुप्त हुए।

प्र0 45. जब कुछ धर्मगुरु रामजन्मभूमि से जुडने के लिए सहमत नही है तो यह कैसे कह सकते है कि यह आन्दोलन सम्पूर्ण हिन्दू समाज का हैं?

अक्टूबर 1989 में विहिप की एक पुकार पर भारत के कोने कोने से जान को हथेली पर लिये 4-5 लाख कारसेवकों का जटिल अवरोधों को पार करते हुए अयोध्या पहुंच जाना फिर जुलाई 1952 में और फिर नवम्बर 1992 मे बार- बार अपनी-अपनी जाने हथेली पर रखकर लाखों कारसेवकों का बार-बार एकत्रित होना इस आन्दोलन के अखिल भारतीय स्वरुप के होने का प्रमाण देता है।

इतना ही नही। 10 मई 1993 को वीतराग स्वामी वाम देव जी महाराज के नेतृत्व में राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया-

हमारा बहुत स्पष्ट अभिभत है कि श्रीरामजन्मभूमि अयोध्या पर केवल राम-मन्दिर का ही पुनर्निर्माण हो। मस्जिद पंचकोसी परिक्रमा की परिधि के बाहर ही बनाई जा सकती है।

इस ज्ञापन पर कुल मिलाकर नौ करोड़ सत्तानवे लाख सात सौ तिहत्तर हज़ार सात सौ त्रेपन नागरिकों ने हस्ताक्षर किए थे। ये हस्ताक्षर 281272 गांवो और मुहल्लों

से आए थे। इनमें 397388 हस्ताक्षर मुसलमानो के और 119763 हस्ताक्षर ईसाइयो के थे। पूरे संसार मे इतने व्यापक समर्थन का कोई दूसरा दृष्टांत आज तक सुनने को नही मिला।

नही मिला।

इस आन्दोलन को हिन्दू समाज के इतने व्यापक समर्थन के उपरान्त भी किसी को यह भ्रम फिर भी यह रह जाए तो स्पष्ट है कि वह सत्य को देखकर भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता।

प्र0 46. क्या रामजन्मभूमि न्यास और विहिप किन्हीं धर्मगुरुओ को इस आन्दोलन से बाहर रखना चाहते है? अर्थात क्या विहिप इस आन्दोलन को हाईजैक करना चाहता है?

कदापि नही। यह सुझाना कि रामजन्मभूमि न्यास और विहिप किन्हीं धर्मगुरुओ को इस आन्दोलन से बाहर रखना चाहते है अत्यनत शैतानीपूर्ण चाल है। धर्म संसद मे सर्वदा सर्वसम्मति से निर्णय हुए है। 9.77 करोड़ से अधिक लोगो ने इस आन्दोलन

के समर्थन मे हस्ताक्षर करके अपने समर्थन की मुहर लगाई है। इतने बडे आन्दोलन मे कोई धर्मगुरु स्वंय ही सम्मिलित न हो पाए हों तो यह तो नितांत संभव है पर किसी को भी सम्मिलित होने से रोका गया हो यह सर्वथा मिथ्या है। वैसे भी इस मामले मे विहिप की भूमिका सीमित ही है। क्योकि इस आन्दोलन की सर्वोच्च नेतृत्व धर्म संसद ही है। विहिप द्वारा इस आन्दोलन के हाईजैक करने की बात करना तो वैसा ही है जैसे कोई कहे एक पुत्र अपनी मां का अपहरण कर रहा है। अखिल भारतीय सन्त यात्रा,रामज्योति-यात्रा,श्रीराम-शिला-पूजन,श्रीराम- पादुका-पूजन,हस्ताक्षर अभियान,हरिजन द्वारा शिलान्यास,लाखो कार सेवको का एक नही तीन-तीन बार एकत्रित होना आदि सारे निर्णय धर्म संसद की ओर से सदा न्यास ही लेता रहा है। उनके क्रियान्वयन के लिए न्यास विहिप का सहयोग अवश्य लेता रहा है। नि सन्देह इस सबमे जो चेहरा सबसे अधिक दिखता रहा है वह विहिप का है। वस्तुत धर्म संसद इस आन्दोलन का ह्रदय है न्यास इसका मस्तिष्क और विहिप इसके हाथ-पैर है।

हां इस आन्दोलन को हाईजैक करने का वास्तव में यदि किसी ने प्रयास किया था तो वो श्री नरसिंह राव थे। इसके लिए उन्होने अपने अंतरंग विश्वास-पात्र श्री चन्द्रास्वामी की मदद ली थी जो सोमयज्ञ की योजना बनाकर अयोध्या आए थे। एक रामालय न्यास भी बना डाला गया जो धर्म संसद के समकक्ष होना था। अब कोई इसी से अनुमान लगा ले कि पांच विभिन्न क्षेत्रो मे हुई धर्म-संसद की बैठको में कुल करीबन 16500 धर्माचार्य जुडे थे जबकि चन्द्रास्वामी प्रधानमंत्री की ताकत के साथ मिलाकर केवल 18 धर्माचार्यो को अपने साथ जोड पायें थे। सोमयज्ञ को समर्थन के अभाव मे बीच मे ही छोड़ना पड़ा और उसके बाद मे रामालय न्यास का क्या हुआ यह किसी को पता नही है। अगर श्री नरसिंह राव विहिप को विश्वास मे लेकर एक बार भी इशारा कर देते कि इतिहास मे रामजन्मभूमि के निर्माता के रुप मे वे अपना नाम चाहते है तो वे विहिप अपने को पीछे और उन्हे आगे करने मे एक क्षण की भी देरी न लगाता और अपने को पर्दे के पीछे खींच लेता तथा श्री नरसिंह राव को सामने ले आता। विहिप के लिए श्रीराममन्दिर का निर्माण हो बस

यही उसके लिए सब कुछ है। इतिहास मे किसका नाम दर्ज होता है इससे विहिप को कोई दिलचस्पी न थी और न आज ही है।

प्र0 47. शिला-पूजन के समय जो चन्दा इकट्ठा हुआ था उसका क्या हुआ?

कुल मिलाकर 1989 मे शिला-पूजन के अभियान मे 8.25 करोड रु. जमा हुए थे। सारी धनराशि भारत मे वित्तीय संस्थाओ मे श्रीरामजन्मभूमि न्यास के नाम मे जमा करा दी गई थी। न्यास पंजीकृत न्यास है और इसकी स्थापना पूज्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी शिवरामाचार्यजी महाराज ने की थी। दान से प्राप्त धनराशि और उस पर लगे ब्याज सहित तथा प्राप्त हो रही दान राशि से अयोध्या मे सन 1990 से और राजस्थान मे सन 1996 से निर्माण कार्य कराने के लिए निधि की व्यवस्था हुई है।

प्राप्त और व्यय हो रहे प्रत्येक पैसे का हिसाब रखा जा रहा है। लेखो की एक अधिकृत चार्ट्रड लेखाकार कम्पनी द्वारा लेखा परीक्षा कराई जाती है और प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग द्वारा नियमित रुप से उसका कर निर्धारण होता है।

प्र0 48. क्या यह सच है कि एक हरिजन ने मंदिर का शिलान्यास किया?

जी हां। धर्माचार्यो ने बिहार के श्री कामेश्वर चौपाल को 10 नवम्बर 1989 को शिलान्यास करने का सम्मान प्राप्त करने के लिए चुना। यह सोचा समझा कदम था जिससे यह पता लगे कि हिन्दू धर्म की अनिवार्य एकता केवल धर्माचार्यो के शब्दो तक ही सीमित नही है अपितु उनका आचरण उनकी वाणी के अनुरुप होता है। यह श्रीरामजन्मभूमि आन्दोलन की एकीकरण की अपार अदभुत शक्ति का परिचायक है। रंग-मंडप और गर्भ-गृह की छत पर महीन नक्काशी का काम तेज गति से हो रहा है।

प्र0 50. क्या मन्दिर निर्माण की तिथि घोषित कर दी गई है? यदि हां तो उसकी रुपरेखा क्या है?

20 जनवरी 2001 को प्रयाग महाकुम्भ के अवसर पर नौवी धर्म संसद मे सार्वजनिक घोषणा करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया कि अयोध्या मे श्रीराम मन्दिर

के निर्माण को आरम्भ करने के मार्ग मे जो भी बाधांए हो वे सभी महाशिवरात्रि के पावन दिवस 12 मार्च 2002 तक अवश्य ही हटा ली जाये ताकि उसके पश्चात किसी भी दिन पवित्र तिथि और मुहूर्त देखकर मंदिर निर्माण आरंभ किया जा सके। निर्माण कार्य आरंभ होने से पूरा होने तक अनवरत चलेगा। शताब्दियों से प्रारम्भ हुई श्रीरामजन्मभूमि मंदिर निर्माण यात्रा का यह अंतिम चरण होगा इसतिए इस चरण मे भावनाओ का भारी ज्वार उमड रहां है। इस अभूतपमर्व ऊर्जा को अनुशासित दिशा देने के लिए धर्म-संसद से निम्नलिखित चरणबद्व कार्यक्रम की घोषणा की है-

1-जलाभिषेक- सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य मे और रामजन्मभूमि मन्दिर निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करने की दृष्टि से देश के समस्त मंदिरो मे पुरुषोत्तम मास अर्थात 18 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक जलाभिषेक का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। श्री राम और शिव अभिन्न है अतः देश भर के अतः देश भर के प्रत्येक शिवलिंग का चाहे वह मंदिर मे विराजमान हो अथवा बारह खुले मे हो देश भर मे फैले करोडो हिन्दू उनका परम्परागत,सामूहिक जलाभिषेक करेगे। यह कार्यक्रम पूरे पुरुषोत्तम मास मे अर्थात 18 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2001 मे सामूहिक रुप से प्रत्येक गांव मे किसी एक दिन मे किया जाएगा। भारत क 4 लाख गांवो में प्रत्येक इस कार्यक्रम की पूर्ति हेतू संकल्पित होगा। यदि किसी गांव मे कोई शिवंलिग न हो तो गांव मे पीपल के वृक्ष का जलाभिक्षेक किया जाएगा।

2. विजय महामंत्र का महाजाप - श्रीराम जय राम जय जय राम धर्मशास्त्रो के अनुसार इस महामंत्र के एक करोड जप से किसी भी स्थान मे विराट शक्ति का

स्फुरण हो जाता है। समर्थ गुरु रामदास जी ने इस महामंत्र का जाप 13 करोड बार किया था जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज मे इतनी शक्ति का संचार हो गया कि वे आक्रान्ता मुगलो के दांत खटटे कर सके। विधिवत् निर्धारित संकल्प लेकर करोडो हिन्दू , देवोथान एकादशी अर्थात 26 नवम्बर 2001से प्रत्येक दिन निर्धारित संख्या मे मंत्र जाप करेगें।

एक दिन 2000हजार लोग 10 मालाये इस विजय मंत्र की करेगे। दो लाख जनसंख्या मे एक सिद्व क्षेत्र बनेगा। प्रत्सेक सिद्व क्षेत्र मे अगले 65 दिन नित्य जप करते हुए 13 करोड़ मंत्र पूरे किए जाएंगे। उसके उपरान्त 10 प्रतिशत का होमात्मक जप होगा। इसी दौरान प्रत्येक हफते मे एक दिन एक घण्टे का कीर्तन होगा। एक सिद्व क्षेत्र मे 20-25 कीर्तन केन्द्र होगें।

अन्त मे सन्त चेतावनी यात्रा चलेगी जो दिल्ली मे समाप्त होगी। इस तरह सम्पूर्ण भारत मे सभी राममन्दिर निर्माण मे अपने को जुडा पाएंगे।

प्र0 51. लिब्रहान कमीशन मे कहा गया है कि 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या मे बाबरी ढांचे के विध्वंस का न तो कोई

कि जनसाधारण को सच्चाई का ज्ञान कराकर उन सारे सबूतो का पर्दाफाश किया जाए ताकि आन्दोलन की मूलभूत नैतिक वैधता का ज्ञान सबको हो सके। अनिश्चित काल तक मंदिर निर्माण का कार्य अवरुद्व होने से हिन्दू हृदय आहत था और हतोत्साहित होने लगा था। नवीन उत्साह का संचार करना था तदनुसार प्रस्तावित योजना बनाई गई कि

1. विवादित ढांचे के बारे मे जो भी अन्तिम निर्णय हो अभी उसे कार सेवा के कार्यक्रम से पूरी तरह अलग कर दिया जाए ताकि भविष्य मे कार सेवा प्रारम्भ हो सके।
2- यदि अधिग्रहण रद्व होता है तो कार सेवा शेष 2.04 एकड़ विहिप की अपनी भूमि मे आरंभ की जा सकेगी और यदि अधिग्रहण वैध होता है तो कार सेवा पूरे 2.77 एकड़ मे की जा सकेगी। आवश्यकता केवल

इतनी थी कि अधिग्रहण के वाद मे हाई कोट्र जो भी निर्णय करे पर शीघ्रता से कर दे।

3- एक बार याचिका पर निर्णय हो जाए हो जाए तो विवादित ढांचे का मामला पृथक रखने के उपरान्त कार सेवा के मार्ग मे कोई अवरोध नही हो पाएगा।

4- रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे को पृथक करने के उपरान्त पूरी आशा थी कि विवाद रहित भूमि मे हिन्दूओ को निर्माण कार्य करने मे किसी को कोई भी आपत्ति होने की सम्भावना नहीं रह जानी थी और अगले दो-तीन वर्षो मे जब तक शेष ढांचा बने गर्भ गृह के बारे मे भी निर्णय हो लेगा चाहे वह परस्पर बात चीत करके हो न्यायालय के माध्यम से हो।

उपरोक्त योजना के अनुसार ही 6 नवम्बर 1992 मे कार सेवक अयोध्या मे एकत्रित किए गए थे। अब तक 1 नवम्बर 1989 से 5 दिसम्बर 1992 तक की अवधि के घटना का भी थोडा विश्लेषण आवश्यक है-

1. उत्तर प्रदेश शासन ने गर्भ ग्रह से अलग पर उससे सटी हुई 2.77एकड भूमि कार सेवा प्रारम्भ हो सके इस दृष्टि से 10 अक्टूबर 1991 को अधिग्रहीत की। इस 2.77 एकड भूमि मे विहिम की 2.04 एकड भूमि भी शामिल थी।

2- अधिग्रहण को चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने इन्जंकशन आदेश जारी कर दिए किन्तु अस्थाई तौर पर निर्माण की अनुमति दे दी।

3- ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय मे भी एक या दो नही बल्कि अवमानना की तीन याचिकाएं दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 नवम्बर 1991 को उन तीनो मुकदमो को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को निम्नलिखित टिप्पणी देकर स्थानांतरित कर दिया ।

हमारा यह मत यह है कि जब उच्च न्यायालय ने मामला पहले ही स्वीकार कर लिया है एक अन्तरिम आदेश भी दे दिया है जैसा कि आदेश मे बताया गया है कि वह प्रकरण अन्तिम निर्णय के लिए दिसम्बर मे किसी भी समय लिया जाने वाला है तो यह आवश्यक नही है और न ही न्यायोचित है कि उच्च न्यायालय मे लम्बित रिट याचिका को इस न्यायालय मे स्थानांतरित किया जाए। उपरोक्त आदेश से स्पष्ट पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय को हद से हद 6 सप्ताह मे अधिग्रहण प्रकरण के निपटने की आशा थी किन्तु मामला अनिश्चित काल तक लम्बित होता ही चला गया।

4. आश्चर्य का विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय की आशाओ को पूरा करके दिसम्बर 1991 तक मुकदमे को निपटने के बजाए उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई 1992 को अस्थाई निर्माण की जो अनुमति दी थी वह भी रद्द कर दी और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। अधिग्रहण का छोटा सा प्रकरण भी जिस रहस्य पूर्ण ढंग से लम्बित होता चला जा रहा था उससे थककर 9 जुलाई 1992 को कारसेवा का आह्वान करना पड़ा। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय मे फरवरी और अप्रैल 1992 मे यथास्थिति के उल्लंघन को आधार बनाकर अवमानना के दो मुकदमे अपना अलग रहस्यमय तूल पकड रहे थे।
5. 10 जुलाई 1992 से सर्वोच्च न्यायालय मे भारी संख्या मे लोकहित याचिकाएं दायर की गई सादे शपथ पत्र विविध प्रार्थना पत्र यहां तक कि समाचार पत्र तक भी सर्वोच्च न्यायालय को हाथो हाथ ऐसे बढाए जा रहे थे जैसे कोई सुबह सुबह घर आए अपने दोस्त को अखबार पढाता हो। देखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उन लोगो के अमर्यायित आचरण को देख आश्चर्यचकित होते थे। सभी दस्तावेजो का मन्तव्य एक ही था कि राज्य सरकार और कार सेवको द्वारा खुल्लम खुल्ला अवमाननाकी जा रही है। राज्य सरकार का उन सब बिना आधार दिए गए आरोपो के विरुद्व अद्रभुत तत्कालता से प्रति शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के निवासो पर प्रार्थना पत्र लिए जारहे थे

सर्वोच्च न्यायालय के कार्यालय के समय के बाद भी कार्यवाहियां की जा रही थी और इन सब याचिकाओ की दिन प्रतिदिन सुनवाई का विशेषाधिकार इन्हे अनायास ही मिला हुआ था। इसके विपरीत राज्य सरकार से प्रति शपथ पत्र और उत्तर घंटो या अगले दिन की समयावधि मे मांगे जाने पर एक विचित्र इतिहास की रचना हो रही थी। उत्तर प्रदेश के वकील का इतना बुरा हाल हो गया था कि उसे सर्वोच्च न्यायालय से यह निवेदन करना पड़ा कि राज्य साकार को उत्तर देने का भी पर्याप्त अवसर नही दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 5 अगस्त 1992 के आदेश मे इस कमी को निम्नलिखित शब्दो मे स्वीकार भी किया–

हमारा विचार है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील की प्रार्थना उचित है और प्रतिवादी को पूरा अवसर तो मिलना ही चाहिए।

यह एक विचित्र विडम्बना रही कि अवमाननाओ के आरोपो की जो झंडी लगाई जा रही थी और उन सारे आरोपो को जितना अद्भुत तूल दिया जा रहा था जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग ने स्थान पर जाकर जांच की तो पाया गया कि किसी भी प्रकार की किसी के द्वारा कोई भी अवमानना हुई ही नही थी क्योकि केसा भी उल्लंघन कभी हुआ ही नही। किसी किस्म का कोई निर्माण कार्य किया की नही गया था।

6. 22 जुलाई 1992 को लाखो कार सेवक इकट्ठे हो गए थे और पूरे देश मे भारी तनाव का वातावरण था। 22 जुलाई 1992 को सर्वोच्च न्यायालय मे कुछ सुझावो पर विचार हुआ –

क. यथास्थिति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तत्काल निर्णय किया जाएगा।

ख. अधिग्रहण सम्बंधी सब विवाद वापस ले लिए जाएंगे और उनका अति तात्कालिता से निपटारा किया जाएगा।

ग. उपरिलिखित दो मुकदमो के लिए विशेष पीठ का गठन किया जाएगा और सुनवाई दिन प्रति दिन की जाएगी।

घ. यह तभी सम्भव होगा जब कार सेवा वापस ले ली जाए।

ये सारे सुझाव दूसरे दिन प्रमुखता सारे अखबारो में छपे थे।

दूसरे दिन 23 जुलाई 1992 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इसकी पुष्टि भी होती है-

चर्चित कुछ सुझावो के प्रकाश मे मुकदमे कल से आज के लिए स्थगित किए गए थे। प्रतिवादियो के विद्वान वकील को हमने साफ बता दिया था कि सुझावो पर इस कडी शर्त पर विचार किया जाएगा कि अधिग्रीति भूमि पर किसी भी निर्माण को स्थगित रखा जाए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी वचन दिया था उसके आलोक मे 26 जुलाई 1992 को कार सेवा वापस ले ली गई।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने दिन प्रति दिन सुनवाई के लिए वे दोनो मुकदमे अपने अधिकार क्षेत्र मे नही लिए और न ही विशेष पीठ का गठन किया गया केवल निम्नलिखित आदेश दिया -

यह भी उचित है कि उच्च न्यायालय को मुकदमो का निपटान अति तत्परता से करना चाहिए जैसाकि वस्तुतः हमे बताया गया था कि उच्च न्यायालय मुकदमे के शीघ्र निपटान के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील है स्मरण योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय को मुकदमे के दिसम्बर 1991 मे निपटने की आशा थी। प्रकरण को इस दृष्टि से देखने पर यह आवश्यक नही है कि उच्च न्यायालय मे चल रही कार्यवाहियो को इस न्यायालय मे लाया जाए। उच्च न्यायालय स्वयं इससे निपटेगा और प्रकरण को अति तत्परता से निपटाएगा।

हिन्दुओ को भारी धक्का लगा वे अपने को ठगा हुआ अनुभव कर रहे थे उन्हे लगा कि उन्हे धोखे से कार सेवा समाप्त करने के लिए मुकदमे जल्दी समाप्त कर दिए जाएंगे का लालच देकर जानबूझकर धोखा दिया। सर्वोच्च न्यायालय से सपने मे भी ऐसा करने की आशा नही की जाती थी। वे क्षुब्ध और जलील किए गए अनुभव कर रहे थे।

ढांचा गिरने का इल्जाम लगाकर राष्ट्र का लज्जित करने के लिए राज्य सरकार और भाजपा को दोषी ठहराया गया किन्तु किसने किसको नीचा दिखाया किसने किसको धोखा दिया इसका निर्णय तो इतिहास ही करेगा।

8. इतना ही पर्याप्त नही प्रधानमंत्री ने जो प्रपंच जान फैला रंखा था उसके रहस्य अभी खुलने बाकी थे। दूसरी तरफ 23 जुलाई 1992 को ही प्रधानमंत्री ने यह वचन दिया कि यदि कार सेवा रोक दी जाए तो सारा सारा मामला सर्वोच्च न्यायालय के समंक्ष रखवा देगे और सर्वदा के लिए पूरी समस्या तीन महीनो मे पूरी कर देगे। 26 जुलाई 1992 को कार सेवा रोक दी गई। बाद मे तीन महीने बीतने पर यह कहा गया कि समय चार माह का मांगा था। मार्गदर्शक मण्डल ने चौथा महीना भी दिया चार महीने समाप्त होने की तारीख 26 नवम्बर 1992 को कार सेवको को पुनः अयोध्या बुलाया गया।

9. लखनऊ मे उच्च न्यायालय ने घोषणा की ही थी कि 4 दिसम्बर 1992 को निर्णय दिया जाएगा। अतः कार सेवा का आरम्भ 6 दिसम्गर को होना था। पहले बताए अनुसार ही मार्गदर्शक मण्डल के संतो और विहिप की योजना स्पष्ट थी –

1. ढांचे को पृथक कर दिया गया था और इसके बचाव के लिए इसे सुरक्षा बलो द्वारा घेर लिया जाना था।

2. यदि अधिग्रहण न्यायोचित ठहराया गया तो 2.77 करोड एकड भूमि पर कार सेवा होगी।

3. यदि अधिग्रहण रद्र किया गया तो विवाद रहित 2.04 एकड़ विहिप की भूमि वापस मिल जायेगी और कार सेवा के लिए सुलभ रहेगी।

4. इस प्रकार लाखो कार सेवको की विराट्र ऊर्जा को अनुशासित तरीके से रचनात्मक काम में लगा दिया जाएगा ।

इस प्रकार शांति पूर्ण कार सेवा में कोई बाधा नहीं थी चाहे उच्च न्यायालय का कुछ भी निर्णय हो । जैसे जैसे कार सेवकों के एकत्रीकरण की तारीख 26 नवम्बर 1992 निकट आती गयी एक बार पुनः मुस्लिम नेताओं ने और अन्य अनेक राजनीति के दिग्भ्रमित धंधेबाजी ने सर्वोच्च न्यायालय में लोकहित याचिकांए धड़ाधड़ दायर करनी आरम्भ कर दी जिनमें अवमानना की सम्भावना मानने की प्रार्थना के साथ संविधान के अनुच्छेद 356 आदि को लागू करने का भी आग्रह था । उनकी दिन प्रति दिन सुनवाई हो रही थी । यहां तक कि न्यायालय को देर रात तक बैठना पड़ा और छुट्टियों में भी बैठाया गया ।

10. 26 नवम्बर 1992 को अयोध्या में केन्द्रीय रिजर्व केन्द्रीय रिजर्व बल की अनेक टुकड़ियां पहुंच गयीं । के. रि. पु. ब. के कमाण्डर ने ढांचे के चारों ओर के भीतरी घेरे से पी.ए.सी. और उत्तर प्रदेश पुलिस को दूर हटा दियात्र जो कि आश्चर्य की बात थी और उनके स्थान पर केवल अपने आदमी तैनात कर दिए । मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सरकार को अपना लिखित विरोध व्यक्त किया जिसमें राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का उल्लेख था किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । 6 दिसम्बर 1992 पहला पत्थर आते ही कैसे और क्यों के. रि. पु. बल ने वहां से स्वतः हटना शुरू कर दिया यह एक रहस्य है । इसका पर्दाफाश न्यायमूर्ति लिब्राहन की अध्यक्षता वाले अयोध्या जांच आयोग द्वारा ही होने की सम्भावना है ।

11. सर्वोच्च न्यायालय ने तब उत्तर प्रदेश सरकार से यथास्थिति आदेशों के अनुपालन सहित किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति न किए जाने का बेबाक लिखित आशवासन मांगा । मुख्यमंत्री ने निवेदन किया कि उन्होंने पहले ही राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में एक व्यापक आश्वासन दे रखा है और सर्वोच्च न्यायालय भी चाहे तो उसे अपने रिकार्ड के लिए ज्यों का त्यों रख ले । तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने एक बेबाक लिखित आश्वासन मांगा– लिखित आश्वासन के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 25 नवम्बर 1992 को जो आदेश दिया वह इस प्रकार है–

राज्य सरकर से यदि कोई रचनात्मक जवाब मिलता है तो हम धार्मिक समूह से निपटने के लिए राज्य सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए प्रकरण मे उच्च न्यायालय से उचित अनुरोध करना स्वीकार कर सकेंगे कि वह प्रकरण मे अति तात्कालिक निर्ण करे।

राज्य सरकार विहिप और सन्त समाज के लिए यह अंधे को दो आंखे पीठ से अतितात्कालिक निर्णय 6 दिसम्बर 1992 से पहले अवश्य मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्णतया तनाव मुक्ति के लिए इससे अधिक कुछ नही चाहिए था। श्री कल्यांण सिंह ने तत्काल लिखित आश्वासन दे दिया साथ साथ संत समाज की ओर से श्रीमति विजयाराजे सिंधिया उपाध्यक्ष विहिप ने भी वैसे ही आश्वासन दे दिये। सर्वोच्च न्यायालय ले जो शर्ते रखी उनकी तुलना मे व्यक्तिगत वचन हल्के थे।

पक्के लिखित आश्वासन हाथ मे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किए उनसे राज्य सरकार विहिप और संत समाज सबके सीने पर सांप लोट गया। उन्हे लगा वे एक बार फिर ठगे गए और वो भी और किसी कि द्वारा नही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।

12. सर्वोच्च न्यायालय मे श्री वेणुगोमाल ने 25 नवम्बर 1992 को दिए गए आदेश के अंतिम पैरा की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि राज्य सरकार ने अपना वचन निभा लिया है अब उच्चतम न्यायालय भी समझौते की रुह से अपने से अपने

आदेश पारित करने की अनुकम्पा करे। उच्चतम न्यायालय अपने वचनो से फिर गया। उन्होने गहरा सदमा देने वाला जो आदेश दिया वह यह था–

श्री वेणुगोमाल ने 25 नवम्बर 1992 को दिए गए इस न्यायालय के आदेश के अंतिम पैरा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसमे कहा था कि राज्य सरकार कोई रचनात्मक प्रतिक्रिया का परिचय देती है तो हम भी हाई कोट्र को अत्यन्त द्रुत गति से निर्णय देने की सलाह पर विचार कर सकते है। श्री वेणुगोमाल का कहना है कि राज्य सरकार अपने वचन को निभाने का आग्रह करने की अधिकारी बन गई है।

वस्तुतः इस प्रकार के प्रकरण मे न तो यह उचित है और न ही व्यावहारिक कि उच्च न्यायालय को किसी समय. सीमा के भ्झीतर निर्णय देने को कहा कहा जाए किन्तु जो कुछ हमने पहले कहा है उसको ध्यान मे रखकर हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते है कि शीघ्र न्याय निर्णयन का प्रयास करे और इसको उस रुप मे विचार करे जैसा वह उचित समझे।

सदमे पर सदमा

सर्वोच्च न्यायालय ने नवम्बर 1991 और जुलाई 1992 के अपने पहले वाले आदेश मे जो अति तत्कालिता से निपटान शब्द कहे थे वे शब्द भी अत्यन्त रहस्मय ढंग स अब पूरी तरह गासब थे। भगवान ही जानते होगें कि इस आदेश की पंक्तियो के बीच ऐसा कौन सा संन्देश था जो उच्च न्याायालय लखनऊ ने पाया।

पर इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि जो निर्णय उच्च न्याायालय ने 4.12.92 को देने की घोषणा की थी उस निर्णय को देने की नई तारीख 11 दिसम्बर 1992 घोषित कर दी। 30 नवम्बर 4 दिसम्बर और 5दिसम्बर को लगातार उच्च न्यायालय से कम से कम अपने फैसले के आंपरेशनल भाग की घोषणा 6दिसम्बर से पहले करने की प्रार्थना की गई जिससे देश भर मे व्याप्त जानलेवा तनाव समाप्त हो सके पर पता नही किन कारणो से माननीय उच्च न्यायालय ने सारी प्रार्थनाएं ठुकरा दी।

जब परिस्थितियो ने 6 दिसम्बर 1992 को यकायक ढांचा ढहा दिया तो हिन्दू संगठनो पर कहर ही बरपा हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार और हिन्दू संगटनो क्या

क्या लानते नही दी गई थोक मे भर्त्सनाएं की गई दसे राष्ट्रीय लज्जा की संज्ञा दी गई। किन्तु कितने लोग जानते है कि वास्तव में इस राष्ट्रीय लज्जा का काम करने वाले कौन थे?

खरे तथ्य स्वयं बोलते है और तथ्य मिथ्या बोल नही सकते।

अब यह इतिहास का दायित्व होगा कि वह निर्णय करे कि वे कौन से द्वार जिन पर ढांचे के ध्वंस का दायित्व डाला जाए। राष्ट्रीय लज्जा का सेहरा किसके सिर पर बांधा जाए।

विधिक निर्णयो का सारांश

क. भारत की स्वतंत्रता के पहले के विधिक निर्णयो का सारांश

1. हिन्दूओ ने मंदिर स्थर और उसके चारो ओर की भूमि सहित श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र पर अपने विधिक दावे को कभी नही छोड़ा।

2. 1859 में अग्रेज सरकार ने एस क्षेत्र के दो भागो को विधिवत मान्यता दी – एक मे बाबरी ढांचा था और दूसरे मे राम चबूतरा सीता की रसोई और सम्पूर्ण प्रांगण थे जो हिन्दूओ को दिए गए। हिन्दूओ ने उस क्षेत्र में अनवरत पूजा और भजन जारी रखे।

3. 1885 में महन्त रघुकदास ने फैजाबाद न्यायालय मे एक प्रकरण दायर किया जिसमे चबूतरा क्षेत्र के निकट मंदिर के नवीनीकरण की प्रार्थना की गई। वह प्रकरण अस्वीकार हो गया। किन्तु अपील पर ब्रिटिश न्यायधीश कर्नल पी0 ई0 ए0 चामीज ने 18/26.3.1886 को अपने निर्णय मे लिखा था कि हिन्दूओ के साथ जो कुछ हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था कि मस्जिद हिन्दूओ के द्वारा सर्वाधिक पूज्य स्थान पर बनाई गई पर 358 वर्ष पूर्व हुई घटना के सुधार का समय पीछे छूट गया है।

4. 1934 में अयोध्या के संतो द्वारा गुम्बदो को आंशित क्षति पहुंचाई गई। इस घटना के प्श्चात उस बाबरी ढांचे को कुर्क करके ताला डाल दिया गया।

ख. भारत के स्वतंत्र होने के प्श्चात के विधिक निर्णयो का सारांश

1. रामकोट गांव या रामचन्द्र कोट मे दर्ज राजस्व अभिलेखो में श्रीराम जन्मभूमि स्थल क्षेत्र को जन्म स्थान के रुप मे दिखाया गया है। 23 दिसम्बर 1949 को श्रीराम लला विराजमान की मूर्तिया मध्य गुम्बद के नीचे फर्शी स्थान के मध्य मे प्रकट हुई और इसके पश्चात शीघ्र ही वहां हजारो भक्त पूजा अर्चना के लिए एकत्रित हो गए और मूर्तियो के समक्ष अनवरत भजन और पूजा का क्रम चल पड़ा।

2. 29 दिसम्बर 1949 को नगर दण्डधिकारी सिटि मजिस्ट्रेट ने पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। तथापि पुजारी रामलला की सेवा में भजन कीर्तन करते रहे।

3. 16 जनवरी 1950 को श्री गोपाल सिंह विशारद महाशय ने फैजाबाद के दीवानी न्यायालय में एक वाद दायर किया जिसमे रामलला की पूजा करने के अनन्य अधिकारो की मांग के साथ साथ किसी के भी द्वारा मूर्तियो के हटाए जाने पर रोक लगाने के आदेश देने की प्रार्थना की गई। रामलला की मूर्तिया के हटाए जाने पर रोक लगाने का एक अस्थायी निदेश इंजेक्शन जारी कर दिया गया। 3 मार्च 1951 को सिविल न्यायधीश ने औश्र बाद मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस आदेश को बहाल रखा और अपील खारिज कर दी। यह ध्यान देने योग्य है कि अयोध्या के निवासी 13 मुस्लिमो ने दण्डधिकारी के सम्मुख दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाही में शपथ पत्र दाखिल किए थे। उनके शपथ पत्रो मे यह लिखा था कि जन्मभूमि मंदिर के ढहाए जाने के पश्चात विवादित ढांचा बनाया था और उन्हे कोई आपत्ति नही होगी। यदि वह स्थान हिन्दूओ के कब्जे में रहे। नगर दण्डधिकारी ने फाइल करे 30 जुलाई 1953 को अपने आदेश में यह लिखकर बंद कर दिया कि आगे शांति भंग की कोई आंशका नही है।

4. 5 दिसम्बर 1950 को परमहंस रामचन्द्र दास ने भी एक वाद दायर कियर जिसमे पूजा के जारी रहने देने और बाबरी ढांचे में मूर्तियां रखी रहने देने के लिए प्रार्थना की गई थी। अगस्त 1990 में न्याय प्रणाली से हुई भारी निराशा के अंधकार में याचिकाकर्त्ता परमहंस रामचन्द्र दास जी ने वाद वापस ले लिया।

5. एक मुस्लिम ने कोट्र द्वारा जारी यथास्थिति आदेश के विरुद्व अर्थात मन्दिर क्षेत्र में मुस्लिमो के प्रवेश निषेध तथा रामलला की पूजा और भजन में कैसा भी अवरोध न करने के विरुद्व एक अपील दायर की जिसे 26 अप्रैल 1955 को खारिज कर दिया गया। ट्र

6. सामान्य जनता के लिए मुकदमा दायर के लिए 12 वर्ष की परिसीमा निर्धारित है। 1949 में रामलला की मूर्तियो के प्राकट्य के दिन से 11 वर्ष माह और 26 दिन के पश्चात अर्थात परिसीमा समाप्त होने में केवल 5 दिन बचे थे उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से चौथा मुकदमा दायर किया गया जिसमें मुस्लिमो को जन्मभूमि क्षेत्र सौपे जाने की प्रार्थना की गई थी।

7. 16 दिसम्बर 1964 को फैजाबाद के दीवानी न्यायाधीश ने सब प्रकरण एक साथ कर दिए। सब वादों पर पक्षो को सुनकर न्यायाधीश ने अपने 21 अप्रैल 1966 के आदेश में कहा कि-

वर्तमान मुकदमो की विशिष्ट विवादित सम्पत्ति से सम्बंधित अभी तक कोई वैध अधिसूचना सामने नही है।

यह निर्णय अंतिम हो गया। इसका अर्थ है कि न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के मुकदमा दायर करने के अधिकार के नीचे की जमीन खिसका दी।

8. अप्रैल 1984 में विश्व हिन्दू परिषद ने दिल्ली में प्रथम धर्म संसद आयोजित की और श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में संतो ने राम जानकी रथ यात्रा आरंभ की जिससे राष्ट्रव्यापी जागरण किया जा सके और राम जन्म स्थान की मुक्ति के लिए पूर्व के 77 संघर्षो को प्रकाश में लाया जा सके।
9. 21 जनवरी 1986 को श्री उमेश चन्द्र पाण्डे ने मुसिफ मजिस्ट्रेट फैजाबाद के समक्ष एक मुकदमा दायर किया और जन्म स्थान सम्पत्ति के द्वारो पर लगे तालो को खुलवानो के लिए न्यायालय से प्रार्थना की। 1 फरवरी 1986 को जिलाधिकारी श्री के. एम. पाण्डे ने ताले खोलने

के आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश पूजा और भजन में बाधा न डाले या किसी भी प्रकार का व्यवधान न डाले।

10. 1 फरवरी 1986 को अयोध्या को एक मुस्लिम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक मुकदमा दायर किया जो ताले खोले जाने के विरुद्ध था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी उसी प्रायोजन के लिए एक मुकदमा दायर किया।
11. जनवरी 1989 मे प्रयाग में महाकुम्भ कि अवसर पर तृतीय धर्म संसद मिली और 9 नवम्बर 1989 को शिलसन्यास करने का निर्णय लिया।
12. 1 जुलाई 1989 को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवकी नन्दन अग्रवाल रामलला और जन्मभूमि की ओर से रामलला के मित्र के नाते मुकदमे में शामिल हो गए।
13. 10 अक्टूबर 1989 को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया जिससे जन्मभूमि क्षेत्र में किसी को भी प्रवेश करने देने की प्रार्थना के साथ ही स्थल से 200 गज के भीतर किसी शिलायन्स की अनुमति न दिए जाने की मांए थी। 23 अक्टूबर 1989 को पूरी पीठ ने वक्फ बोर्ड की प्रार्थना अस्वीकार कर दी।
14. मुस्लिम पाट्रियो ने शिलायन्स रुकवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दो मुकदमे दायर करके अपने प्रयत्न जारी रखे। 27 अक्टूबर 1989 को सर्वोच्च न्यायालय ने दोनो मुकदमे खारिज कर दिए और इस प्रकार शिलायन्स का मार्ग साफ हो गया।
15. 10 अक्टूबर 1991 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने विवसदित ढांचे के आस पास की 2.77 एकड भूमि अधिग्रहीत कर ली जिससे उन भक्तो को सुविधा हो जाए जो रामलला के दर्शन आदि के लिए जाते आते है।
16. इस मोड़ पर मुस्लिम प्रतिनिधियो ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक रिट याचिका दायर कर दी। 25 अक्टूबर 1991

को न्यायालय ने सब पक्षो को सुनकर एक अंतरिम आदेश जारी किया। कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा करने का पूरा अधिकार था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 4 नवम्बर 1992 को स्थायी निर्णय भी दे दिया जाएगा।

17. 30 अक्टूबर को पांचवी धर्म संसद नई दिल्ली मे मिली और 6 दिसम्बर 1992 को कार सेवा आरंभ करने का निर्णय लिया।
18. 8 दिसम्बर 1992 को प्रातःकाल केन्दीय सरकार ने श्रीरामजन्मभूमि परिसर के पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया रामलला की पूजा जारी रही।
19. 7 जनवरी 1993 को भारत सरकार ने संसद की सहमति से विवादित क्षेत्र के चारो और की 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। किन्तु मुस्लिमो ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि एक बार कोई स्थान मस्जिद बन जाता है तो नयी परिस्थितियां कुछ भी मायने नही रखती चाहे वे कैसी भी हों।
20. 7 जनवरी 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने संसद के नियम 143 (1) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय पर अपनी राय देने का अनुरोध किया और यह बताने को कहा कि विवादित ढांचा बनने से पहले क्या वहसं हिन्दूओ का कोई पूजा स्थल विद्यामान था अथवा नही। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई राय देना उचित नही समझा। 21 महीनो की कार्यवाही के पश्चात 24 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने नियम 4 (3) के अंतर्गत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के पक्ष में बहुमत से निर्णय दिया और प्रकरण को उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को वापस कर दिया। साथ साथ मुस्लिमों के दस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि एक बार मस्जिद बन गई तो वह सदा मस्जिद रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि मध्यवर्ती गुम्बद के नीचे हो रही रामलला की पूजा जारी रह सकती है और स्थिति बदलने

की कोई कार्यवाही न की जाए। मुस्लिमों के दावों को खारिज करके सर्वोच्च न्यायालय ने लाहौर उच्च न्यायालय और प्रीवी काउसिल में दायर मुकदमे का उल्लेख किया।

21. अब स्थिति यह है कि उच्च न्यायालय में सम्बंधित पक्षो अर्थात सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाडा के बयान लिए जा रहे है। 1966 से मुस्लिमो की ओर से 103 साक्ष्यो में से 16 के बयान पूरे हुए है। हिन्दूओ की ओर से परमहंस रामचन्द्र दास जी ने अपना बयान लिखवा दिया है। हिन्दूओ की ओर से लगभग 100 बयान पूरे हुए है।